प्राधिकरण बोर्ड की 162वीं बैठक हेतु विचारणीय बिन्दुओं की सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

तिथि :- 30 दिसम्बर, 2017

समय :- अपराह्न 04.30 बजे

स्थान :- मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.12.2017 में
विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
1क	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
1ख	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	06
2क	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.05.2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	13
2ख	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	24
03	प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-4 में दर्शित ट्यूबवेल, क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 को नया आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाने एवं सन्निकट स्थित पार्क में ट्यूबवेल हेतु चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।	32
04	लखनऊ विकासं प्राधिकरण में कार्यरत संविदा वाहन चालकों को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड-पे, भवन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, प्राधिकरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं एन0पी0ए0 भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	38
05	विकास प्राधिकरण में समूह ग एवं घ (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	39
06	ल0वि0प्रा0 की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त एक पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी की सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।	46
07	अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम-मकदूमपुर, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा संख्या-242 रकबा-2-12-14-0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय, जो कि शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण रिट याचिका सं0-67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या-4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के आलोक में निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।	51

08	सहायक महाप्रबन्धक परिसर एवं सम्पदा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा सेक्टर-आई, जानकीपुरम में 13320.50 वर्गमी0 समूह आवास निर्माण सम्बन्धित मानचित्र के सम्बन्ध में।	64
09	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन के अंगीकरण के सम्बन्ध में।	69
10	अमृत योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेश के अंगीकरण के सम्बन्ध में।	73
11	भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन" (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धनराशि के भुगतान तथा जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार करने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	85
12	प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी1 के तलपट मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल लगभग 9276.00 वर्गमी0 पर सृजित एस0एस0 टाइप के भूखण्डों/भवनों के निर्माण के फलस्वरूप एक्जीक्युशन पार्ट ले-आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	89
13	शासन के पत्र संख्या-933/आठ-6-17-05 टी0पी0/2016 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के क्रम में डा0 राजा सिंह, निवासी-जे-3/7, डालीबाग, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 स्थित भूखण्ड संख्या-सी-1/163 एवं इससे सटी अतिरिक्त भूमि 46.00 वर्गमी0 के बगल स्थित व्यवसायिक भूखण्ड को पक्षकार द्वारा कार्नर की भूमि बताकर सड़क की मांग की जा रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में।	92
	मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय संख्या : 1(क)

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24 मई, 2017 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाक 24.05.2017 का कार्यवृत्त दिनांक 02.06.2017 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 24.05.2017 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 161वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2017 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री अनिल गर्ग	अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	श्री शिव जनम चौधरी	विशेष सचिव, प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
04.	श्री अशोक कुमार	अपर जिलाधिकारी, प्रतिनिधि—जिलाधिकारी, लखनऊ।
05.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ0प्र0
06.	श्री मो0 सलीम अहमद	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री सुभाष चन्द्र	उपसचिव—वित्त, प्रतिनिधि—विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8, उ0प्र0 शासन।
08	श्री राजीव कुमार	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।
09.	श्री पारिजात पाण्डेय	पयर्टन सहायक अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
10.	श्री रमेश कपूर 'बाबा'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
11.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थितिः—

13.	श्री जय शंकर दुबे	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
14.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण
15.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
16.	श्री उमेश शुक्ला	प्रभारी वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का स्वागत किया गया तथा उपस्थित सदस्यों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को दिनांक 28.12.2016 को कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था। किसी भी मा0 सदस्य से कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई थी, फिर भी प्राधिकरण की आगामी बैठक तक का समय आपत्तियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रदान किया गया एवं कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण होने के उपरान्त ही अनुपालन आख्या पर विचार किया जायेगा।

विषय संख्या : 3 — प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : — प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016–17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के प्रस्तावित आय–व्ययक पर विस्तृत चर्चा की गई एवं निम्नांकित निर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक सर्वसम्मति से पारित किया गया:–

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व आय के मद में रू 373.75 करोड़ तथा पूंजीगत आय के मद में रू0 2301.60 करोड़ अर्थात् कुल रू0 2675.35 करोड़ आय का बजट स्वीकृत किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व व्यय के मद में रू 179.62 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय के मद में रू0 2431.80 करोड़ अर्थात् कुल रू0 2611.42 करोड़ के व्यय का बजट स्वीकृत किया गया।
- अनिस्तारित सम्पत्तियों जैसे–व्यवसायिक एवं बल्कसेल, फ्लैट, भवन, भूखण्ड आदि का पूर्ण विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर 01 माह के अन्दर अपलोड कराया जाय, ताकि उनका यथोचित निस्तारण कराकर प्राधिकरण की वित्तीय

स्थिति में सुधार किया जा सके। ऐसी सभी सम्पत्तियाँ, जिनका कई बार प्रयास करने के उपरान्त भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उनकी सूची तैयार कराकर उनके शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रयास किया जाये।

- प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं हेतु शासकीय अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया गया हो या ऋण लेने की प्रक्रिया गतिमान है, तो उसकी वायबिलिटी का परीक्षण इस आशय से करा लिया जाय कि उस परियोजना के सापेक्ष लिये जा रहे ऋण से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इस हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति का गठन किया गयाः—

1.	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक	सदस्य
2.	मुख्य अभियन्ता, आवास विकास परिषद	सदस्य
3.	उपसचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0	सदस्य / संयोजक

उक्त समिति ऐसे समस्त प्रकरणों का विधिवत् शीघ्र परीक्षण कर अपनी आख्या उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी, जो परियोजना के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

बैठक के मध्य मा0 सदस्य श्री रमेश कपूर 'बाबा' द्वारा अवगत कराया गया कि हरदोई रोड स्थित बालागंज कामर्शियल काम्लेक्स एवं चौक स्थित कंचन मार्केट में प्राधिकरण की दुकाने निर्मित हैं। उक्त दुकानों एवं व्यवसायिक केन्द्र के परिसर में अनधिकृत रूप से कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे प्राधिकरण को वित्तीय क्षति हो रही है तथा आवंटियों एवं जन—सामान्य को विषम समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में प्राधिकरण को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है। बोर्ड द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई और प्राथमिकता पर अवैध कब्जेदारों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए दुकानों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के निर्देश दिये गये।

- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं / पार्क / पार्किंग स्थल व भवनों, जिनमें सुरक्षा गार्डों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उनका विस्तृत विवरण तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी अनधिकृत स्थल अथवा अपात्र व्यक्ति के साथ कोई सुरक्षा गार्ड किसी भी स्थिति में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सचिव / उपाध्यक्ष इस सम्बन्ध में प्रतिमाह गार्डों के डिप्लायमेन्ट की समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त अधिष्ठान

पर आ रहे अनावश्यक व्यय के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण में कार्यरत स्वीकृत पद के सापेक्ष व प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी कर ली जाय, यदि प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत पद से अधिक अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं, तो नियमानुसार उनके स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय।

- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भी योजनाओं में विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। सर्वप्रथम् यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन विकास कार्यों से जन–सामान्य को लाभ हो एवं प्राधिकरण का हित सर्वोपरि हो। यह भी निर्देशित किया गया कि जिन स्थलों पर निर्माण/विकास कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं, वह भूमि प्राधिकरण की योजना हेतु अधिग्रहीत हो, पूर्णतया अतिक्रमणमुक्त हो, किसी भी विधिक अड़चन या स्थगन से प्रभावित न हो तथा प्राधिकरण के कब्जे में मौके पर उपलब्ध हो। किसी भी दशा में प्राधिकरण एवं सार्वजानिक हित के विपरीत कोई भी निर्माण/विकास कार्य न कराया जाये। निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/विकास कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

- उ0प्र0 में 'रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA)' प्रभावी हो गया है। अतः उक्त एक्ट के विभिन्न प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हीं योजनाओं में विकास/निर्माण कार्य प्रस्तावित किये जायें, जहाँ स्थल का भौतिक कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो गया हो। निर्देश दिये गये कि RERA के प्राविधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अभियन्ताओं के ज्ञान वर्द्धन हेतु आवास बन्धु तथा मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक उ0प्र0 के सहयोग से एक कार्यशाला/प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम आयोजित कराया जाये।

- पूर्व में आवासीय भू–उपयोग से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित थी। इस हेतु शासनादेश के प्राविधानों के अनुक्रम में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जन–सामान्य से प्रार्थना–पत्र मांगकर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त प्रकरणों को शासन के मार्ग–निर्देशन के लिए प्रेषित कर दिया जाय, क्योंकि प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का संज्ञान जन–सामान्य को होने के उपरान्त अधिकांश जनसामान्य, बुद्धिजीवियों तथा आवासीय कालोनियों में निवासित व्यक्तियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। विभिन्न

समाचार–पत्रों में भी इस प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये, जिससे जन–सामान्य के समक्ष प्राधिकरण की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं प्राधिकरण बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाये गये कि यदि आवासीय भवनों में व्यवसायिक भू–उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है, तो प्राधिकरण की व्यवसायिक योजनाओं की विभिन्न सम्पत्तियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आवासीय सम्पत्तियों को ही व्यवसायिक सम्पत्ति के रूप में प्रयोग की अनुमति प्राप्त हो जायेगी, तो सामान्यतः आवासीय की दोगुनी दर पर व्यवसायिक सम्पत्तियाँ कोई क्यों क्रय करेगा। लखनऊ शहर के सुनियोजित विकास पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मानक के अनुसार आवासीय भवनों के सापेक्ष पार्किंग आदि की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है, जिससे जन–सामान्य को कई प्रकार से असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अतएव निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवासीय भू–उपयोग से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के औचित्य से सम्बन्धित विस्तृत एवं सुस्पष्ट आख्या तैयार कर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

30/05/17

(जय शंकर दुबे)
सचिव

(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(अनिल गर्ग)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाक 26.12.2016 का कार्यवृत्त दिनांक 28.12.2016 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा अद्यतन कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 26.12.2016 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु पुनः प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 160वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री सदाकान्त	अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
02.	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	श्री आर0पी0 सिंह	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री शिव जनम चौधरी	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।
06.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
07.	श्री आर0पी0 यादव	श्रेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
08.	श्री एस0 सोनी	प्रतिनिधि—अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
10.	श्री इसहाक गुड्डू	सदस्य, ल0वि0प्रा0
11.	श्री रमेश कपूर 'बाबा'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
12.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
13.	श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थितिः—

14.	श्री अरूण कुमार	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
15.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
विषय संख्या : 3	लामार्टिनियर गर्ल्स कालेज में बनाये गये आडिटोरियम का नाम फरीदा अब्राहम मेमोरियल आडिटोरियम रखे जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 4	अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 5	आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.16 के माध्यम से भूमि अर्जन अधिनियम, पुर्नवास और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013, की धारा–24(2) भूमि अधिग्रहण प्रकिया स्वतः ही व्यपगत हो जाने के कारण प्रार्थिनी की ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या–132 रकबा 1–2–0–0 बीघा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने तथा प्रार्थिनी को कब्जा पुनः प्रदान किये जाने की मांग के क्रम में प्रकरण

शासन को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 6 प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या–322 क्षेत्रफल 2–10–8–0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने के सम्बन्ध मे।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या–322 क्षेत्रफल 2–10–8–0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.02 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि विकास शुल्क लेते हुए आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 7 कानपुर रोड नगर प्रसार भाग–1, 2, 3 व 4 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर समझौते के आधार पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त कमेटी गठित कर विधिक रूप से परीक्षण व पुनर्निधारण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 8 भूखण्ड संख्या–सीएफ–1/43, गोमती नगर विस्तार वरदान खण्ड–1 में सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन एवं विराज खण्ड–2 में 2000 वर्गमी0 भूखण्ड को सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विधिक/पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 9 लखनऊ विकास प्राधिकरण में पांच दिवसीय कार्य–सप्ताह लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 10 19 मृतक आश्रित संविदा कार्मिकों में से समूह–ग के 2 तथा समूह–घ के 17 कार्मिकों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 11

उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 में उल्लिखित प्राविधानानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 को अंगीकृत किया गया।

विषय संख्या : 12

लंखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव वापस लिया गया।

विषय संख्या : 13

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किया गया।

विषय संख्या : 14

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 तथा सेक्टर–6 के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 15

खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर जिला–लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 में से 600 वर्गमी0 भूमि/भूखण्ड, ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की भूमि महायोजना–2021 के अन्तर्गत दर्शित ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में नागरिक उड्डयन से अनापत्ति प्राप्त कर परिवर्तन शुल्क लिये जाने की शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत भू–उपयोग विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय

लिया गया।

विषय संख्या : 16
अलीगंज योजना सेक्टर–ओ के अन्तर्गत डाक विभाग, उ0प्र0 सर्किल, लखनऊ की भूमि पर लेवी शुल्क के सम्बन्ध में।

निर्णय :
प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा हुई। सरकारी विभागों को समय से धनराशि (ग्रांट) उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्माण में विलम्ब होता है। अतएव अलीगंज योजना सेक्टर–ओ के अन्तर्गत डाक विभाग को आवंटित लीज पर लगभग 34600 वर्गमी0 भूमि पर आरोपित अनिर्माण शुल्क (लेवी शुल्क) न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 17
मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमतीनगर के सेक्टर–7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय :
सम्यक् विचारोपरान्त मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर–7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 19.12.2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 18
सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 तथा तलपट मानचित्र में चार भूखण्डों के स्थानों में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :
सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 19
नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित अनावासीय (बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल आदि) क्रियाओं के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :
नियोजित तथा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत विकसित किये गये आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोग की अनुमन्यता हेतु उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–457/8–3–16–127विविध/11, लखनऊ दिनांक 08.07.2016 के क्रम में प्रस्तुत 21 प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्धारित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति एवं संस्तुत मार्ग–दर्शक मानकों सहित यथावत् अनुमोदित किया जाता है।

विषय संख्या : 20	आधुनिक तकनीकी परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर हेतु स्वीकृत पदों के पदनाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
विषय संख्या : 21	विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक कॉलेज आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड पर डिग्री कालेज की अनुमति के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षिक भूखण्डों हेतु शासनादेश की रियायती दरों के प्राविधानों के अन्तर्गत डिग्री कालेज एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल के अन्तर आंकलित धनराशि ब्याज सहित लिये जाने की शर्त के साथ विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी को आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड में डिग्री कालेज के संचालन की अनुमति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अन्य विषय 22	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि खसरा संख्या 128 मकदूमपुर गोमती नगर लखनऊ के स्थान पर विस्थापित कोटे में श्रीमती साधना भारद्वाज पत्नी श्री एस0बी0 भारद्वाज को भूखण्ड आवंटन के संबंध में।
निर्णय	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

दिनांक 21.12.2016 को सायंकाल 4.00 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के निदेशक मण्डल की 160 वीं बैठक सम्पन्न हुई। दिनांक 22.12.2016 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, डा0 अनूप यादव का स्थानान्तरण हो गया है। डा0 अनूप यादव, उपाध्यक्ष के द्वारा चार्ज हस्तांतरित कर दिये जाने के कारण निदेशक मण्डल की उक्त बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका। दिनांक 21.12.2016 की बैठक में सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री अरूण कुमार अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर थे, इसलिए दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में वह उपस्थित नहीं थे।

उपाध्यक्ष के स्थानान्तरण होने तथा सचिव के अस्वस्थ होने के कारण निदेशक मण्डल की बैठक में उपस्थित न रहने के कारण कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर नहीं हो सके तथा बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टि भी नहीं की जा सकी। अतः तकनीकी कारणों से दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों तथा कार्यवृत्त की पुष्टि किये

जाने के संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आज दिनाक 26.12.2016 को पूर्वान्ह 11.30 बजे निदेशक मण्डल की बैठक पुनः सम्पन्न हुई। नये उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री सत्येन्द्र सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया गया है तथा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री अरूण कुमार तथा अन्य सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 21.12.2016 की बैठक के बारे में चर्चा हुई और उपरोक्त वस्तुस्थिति की जानकारी सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा मा0 अध्यक्ष महोदय तथा मा0 सदस्यों को दी गयी। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 21.12.2016 की निदेशक मण्डल की बैठक में एजेण्डावार लिये गये निर्णयों की पुष्टि की जाती है, उस पर सभी सदस्य सहमत हैं और कार्यवृत्त की भी पुष्टि की जाती है।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>**अनुमोदित**</u>

26/12/16
(सदाकान्त)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:—लखनऊ विकास प्राधिकरण की 161वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2017 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को दिनांक 28.12.2016 को कार्यवृत्त अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था। किसी भी मा0 सदस्य से कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई थी, फिर भी प्राधिकरण की आगामी बैठक तक का समय आपत्तियाँ उपलब्ध कराने हेतु प्रदान किया गया एवं कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में आगामी बैठक तक का समय आपत्तियां उपलब्ध कराने हेतु दिया गया, परन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा अद्यतन कोई आपत्ति उपलब्ध नही करायी गयी है। अतः दिनांक 26.12.2016 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न किया जा रहा है।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.12.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण होने के उपरान्त ही अनुपालन आख्या पर विचार किया जायेगा।
अनुपालन :	अनुपालन आख्या पुनः अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
विषय संख्या : 3	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016—17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017—18 का प्रस्तावित आय—व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।
निर्णय :	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2016—17 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2017—18 के प्रस्तावित आय—व्ययक पर विस्तृत चर्चा की गई एवं निम्नांकित निर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2017—18 का आय—व्ययक सर्वसम्मति से पारित किया गया:— • वित्तीय वर्ष 2017—18 में राजस्व आय के मद में रू 373.75 करोड़ तथा पूंजीगत आय के मद में रू0 2301.60 करोड़ अर्थात् कुल रू0 2675.35 करोड़ आय का बजट स्वीकृत किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व व्यय के मद में रू 179.62 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय के मद में रू0 2431.80 करोड़ अर्थात् कुल रू0 2611.42 करोड़ के व्यय का बजट स्वीकृत किया गया।

<u>अनुपालन</u>

स्वीकृत आय–व्ययक के अनुसार वित्त एवं लेखा अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

- अनिस्तारित सम्पत्तियों जैसे–व्यवसायिक एवं बल्कसेल, फ्लैट, भवन, भूखण्ड आदि का पूर्ण विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट पर 01 माह के अन्दर अपलोड कराया जाय, ताकि उनका यथोचित निस्तारण कराकर प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति में सुधार किया जा सके। ऐसी सभी सम्पत्तियाँ, जिनका कई बार प्रयास करने के उपरान्त भी निस्तारण नहीं हो पा रहा है, उनकी सूची तैयार कराकर उनके शीघ्र निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाकर प्रयास किया जाये।

<u>अनुपालन</u>

दिये गये निर्देशानुसार अनिस्तारित सम्पत्तियों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है। उपलब्ध व्यावसायिक सम्पत्ति के निस्तारण हेतु निरन्तर यथोचित् कार्यवाही की जा रही है।

- प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं हेतु शासकीय अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया गया हो या ऋण लेने की प्रक्रिया गतिमान है, तो उसकी वायबिलिटी का परीक्षण इस आशय से करा लिया जाय कि उस परियोजना के सापेक्ष लिये जा रहे ऋण से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इस हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति का गठन किया गया:–

1.	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक	सदस्य
2.	मुख्य अभियन्ता, आवास विकास परिषद	सदस्य
3.	उपसचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0	सदस्य/संयोजक

उक्त समिति ऐसे समस्त प्रकरणों का विधिवत् शीघ्र परीक्षण कर अपनी आख्या उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी, जो परियोजना के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

<u>अनुपालन :</u>

प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की बैठकें 18.08.2017 एवं दिनांक 28.08.2017 को सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न है।

- बैठक के मध्य मा0 सदस्य श्री रमेश कपूर 'बाबा' द्वारा अवगत कराया गया कि हरदोई रोड स्थित बालागंज कामर्शियल काम्लेक्स एवं चौक स्थित कंचन मार्केट में प्राधिकंरण की दुकाने निर्मित हैं। उक्त दुकानों एवं व्यवसायिक केन्द्र के परिसर में अनधिकृत रूप से कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे प्राधिकरण को वित्तीय क्षति हो रही है तथा आवंटियों एवं जन–सामान्य को विषम समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में प्राधिकरण को पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है। बोर्ड द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई और प्राथमिकता पर अवैध कब्जेदारों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए दुकानों को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>अनुपालन :</u>

अनधिकृत अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु दो बार तिथि निर्धारित की जा चुकी है, परन्तु पुलिस फोर्स की अनुपलब्धता के कारण अतिक्रमण नही हटाया जा सका है। शीघ्र ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।

- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं/पार्क/पार्किंग स्थल व भवनों, जिनमें सुरक्षा गार्डों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उनका विस्तृत विवरण तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी अनधिकृत स्थल अथवा अपात्र व्यक्ति के साथ कोई सुरक्षा गार्ड किसी भी स्थिति में सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। सचिव/उपाध्यक्ष इस सम्बन्ध में प्रतिमाह गार्डो के डिप्लायमेन्ट की समीक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त अधिष्ठान पर आ रहे अनावश्यक व्यय के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण में कार्यरत स्वीकृत पद के सापेक्ष व प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी कर ली जाय, यदि प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत पद से अधिक अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं, तो नियमानुसार उनके स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाय।

<u>अनुपालन :</u> निर्देशानुसार सुरक्षा कर्मियों एवं प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों का विवरण तैयार कराकर अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भी योजनाओं में विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। सर्वप्रथम् यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन विकास कार्यों से जन–सामान्य को लाभ हो एवं प्राधिकरण का हित सर्वोपरि हो। यह भी निर्देशित किया गया कि जिन स्थलों पर निर्माण/विकास कार्य प्रस्तावित किये जा रहे हैं, वह भूमि प्राधिकरण की योजना हेतु अधिग्रहीत हो, पूर्णतया अतिक्रमणमुक्त हो, किसी भी विधिक अड़चन या स्थगन से प्रभावित न हो तथा प्राधिकरण के कब्जे में मौके पर उपलब्ध हो। किसी भी दशा में प्राधिकरण एवं सार्वजानिक हित के विपरीत कोई भी निर्माण/विकास कार्य न कराया जाये। निर्देशित किया गया कि उक्त बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/विकास कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

<u>अनुपालन :</u> दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

- उ0प्र0 में 'रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट (RERA)' प्रभावी हो गया है। अतः उक्त एक्ट के विभिन्न प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हीं योजनाओं में विकास/निर्माण कार्य प्रस्तावित किये जायें, जहाँ स्थल का भौतिक कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हो गया हो। निर्देश दिये गये कि RERA के प्राविधानों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अभियन्ताओं के ज्ञान वर्द्धन हेतु आवास बन्धु तथा मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक उ0प्र0 के सहयोग से एक कार्यशाला/प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम आयोजित कराया जाये।

<u>अनुपालन :</u> दिनांक 11.08.2017 को इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान, विभूति खण्ड, गोमती नगर में रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट के प्राविधानों की विधिवत् जानकारी हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास विकास परिषद एवं रियल इस्टेट क्षेत्र के बिल्डर्स एवं प्रोमोटर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा की गयी।

- पूर्व में आवासीय भू–उपयोग से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित थी। इस हेतु शासनादेश के प्राविधानों के अनुक्रम में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु जन–सामान्य से प्रार्थना–पत्र मांगकर प्राधिकरण बोर्ड के

समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, निर्देशित किया गया कि उक्त समस्त प्रकरणों को शासन के मार्ग–निर्देशन के लिए प्रेषित कर दिया जाय, क्योंकि प्राधिकरण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय का संज्ञान जन–सामान्य को होने के उपरान्त अधिकांश जनसामान्य, बुद्धिजीवियों तथा आवासीय कालोनियों में निवासित व्यक्तियों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है। विभिन्न समाचार–पत्रों में भी इस प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाये गये, जिससे जन–सामान्य के समक्ष प्राधिकरण की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा एवं प्राधिकरण बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाये गये कि यदि आवासीय भवनों में व्यवसायिक भू–उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है, तो प्राधिकरण की व्यवसायिक योजनाओं की विभिन्न सम्पत्तियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आवासीय सम्पत्तियों को ही व्यवसायिक सम्पत्ति के रूप में प्रयोग की अनुमति प्राप्त हो जायेगी, तो सामान्यतः आवासीय की दोगुनी दर पर व्यवसायिक सम्पत्तियाँ कोई क्यों क्रय करेगा। लखनऊ शहर के सुनियोजित विकास पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि मानक के अनुसार आवासीय भवनों के सापेक्ष पार्किंग आदि की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती है, जिससे जन–सामान्य को कई प्रकार से असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अतएव निर्देशित किया गया कि उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवासीय भू–उपयोग से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने के औचित्य से सम्बन्धित विस्तृत एवं सुस्पष्ट आख्या तैयार कर शासन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

<u>अनुपालन :</u> प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पत्र संख्या–62 /उपा0/मु0न0नि0/17 दिनांक 12.06.2017 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमति पर भू–उपयोग परिवर्तन एवं सशर्त अनुमन्यता इम्पैक्ट फीस के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही को संलग्न करते हुए अधिनियम तथा संशोधित जोनिंग रेगुलेशंस के प्राविधानों पर पुनः विचार करने तथा अग्रेतर कार्यवाही के सम्बन्ध यथा आवश्यक निर्देश/मार्गदर्शन की शासन से अपेक्षा की गयी है।

अनुलग्नक 18

कार्यालय सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक : 528/स/17

दिनांक : 29 अगस्त, 2017

प्राधिकरण की परियोजनाओं हेतु शासकीय अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किये जाने हेतु वायबिलिटी परीक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 28.08.2017 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :

1. श्री आर0के0 सिंह, वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0
2. श्री राजीव शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
3. श्री रोहित खन्ना, अधिशासी अभियन्ता, ल0वि0प्रा0
4. श्री चक्रेश जैन, अधिशासी अभियन्ता, ल0वि0प्रा0
5. श्री ए0के0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, ल0वि0प्रा0
6. श्री ए0ए0 अंसारी अधिशासी अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2017 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

> "प्राधिकरण द्वारा जिन परियोजनाओं हेतु शासकीय अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त किया गया हो या ऋण लेने की प्रक्रिया गतिमान है, तो उसकी वायबिलिटी का परीक्षण इस आशय से करा लिया जाये कि उस परियोजना के सापेक्ष लिये जा रहे ऋण से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।"

उपरोक्त निर्णय के क्रम में गठित समिति द्वारा बैठक दिनांक 25.08.2017 को मध्याह्न 12.00 बजे प्राधिकरण की परियोजनाएं मुख्यतया शान–ए–अवध परियोजना एवं चक गंजरिया परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

अधिशासी अभियन्ता श्री ए0के0 तिवारी द्वारा बताया गया कि शान–ए–अवध परियोजना एक व्यवसायिक परियोजना है, जिससे कि व्यवसायिक सम्पत्तियों का विक्रय कर धनराशि अर्जित की जायेगी। तद्नुसार शान–ए–अवध परियोजना के वायबिलिटी को वायबिल पाया गया। साथ ही यह भी देखा गया कि मार्केट की वर्तमान स्थिति एवं विक्रय शीलता को देखते हुए ऋण प्रतिदान के मॉरेटोरियम अवधि को 02 वर्ष से बढाकर 05 वर्ष करने हेतु शासन से अनुरोध किया जाये।

चक गंजरिया परियोजना के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता श्री चक्रेश जैन द्वारा यह बताया गया कि चक गंजरिया के अन्तर्गत वित्तीय संस्था द्वारा लिया गया ऋण पर अधिभारित ब्याज की धनराशि एवं योजना के अन्तर्गत विक्रय योग्य सम्पत्तियों का विस्तृत तुलनात्मक विवरण तैयार कराया जा रहा है।

तदोपरान्त समिति के समक्ष उक्त सन्दर्भित परियोजना की वायबिलिटी के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

29/08/17

(जय शंकर दुबे)
सचिव

प्रतिलिपि :

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. अपर सचिव को सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
5. उप सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
6. मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
7. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।
8. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जय शंकर दुबे)
सचिव

अनुलग्नक
20

कार्यालयः सुरक्षा अधिकारी,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांकः 661/सु अ0/17 दिनांकः 19 अगस्त, 2017

सचिव,

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.207 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सुरक्षा गार्डों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं पार्क, पार्किगं, स्थल कार्यालयों आदि सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डो की तैनाती अभियन्त्रण जोन की मॉग पर उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में जहॉ–जहॉ सुरक्षा गार्ड तैनात है, तैनाती विवरण निम्नवत् हैः–

1. मे0 हजारिया सि0 गार्ड सर्वि0

क्र0सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	का0रो0यो0 स्थित कारगिल शहीद पार्क स्मृति उपवन पार्क	–		09	09
2	गोमती गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के आन्तरिक भाग में स्थित खेल उपकरणों झील, तालाब, झूला एवं सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्देशित स्थलों पर तैनाती हेतु गार्ड	06	15	54 (गार्ड एवं महिला गार्ड सहित)	75
3	गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में वाहय गेटों तथा पार्क फेस 2 में हो रहे विकास कार्य तथा सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिए गए निर्देशित महत्वपूर्ण स्थलों पर	06	15	54	75
	कुल तैनाती	12	30	117	159

2. मे0 अपनाटेक क0सर्वि0प्रा0 लि0

क्र0 सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	डॉ0 राममनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर के आन्तिरक भाग व समस्त शौचालय,वाटिका,बत्तख तालाब व आन्तिरक भाग में तैनात गार्ड	3	–	27	30
2	का0रो0यो0 मान सरोवर सेक्टर–पी के सनराईज अपार्टमेन्ट में निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा गार्ड हटाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा दिनाँ 23.12.2016 से गार्डो की तैनाती अपार्टमेन्ट आवंटियों से प्राप्त अनुक्षण शुल्क से भुगतान प्रस्तावित ।	1		19	20
कुल तैनाती		4		46	50

3. मे0 रॉकफोर्ड सि0 गार्ड सर्वि0

क.सं.	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	का0रो0 स्थित जोनल पार्क में मल्टी एक्टिविटी सेन्टर सेन्टर	1	–	14	15
2	हजरतगंज स्थित मल्टी पार्किंग के समस्त तलों हेतु तीन शिफ्ट गार्ड	1	–	14	15

P.A.
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
19/08/2017

4	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतन खण्ड में ट्री गार्ड सुरक्षा एवं अतिकमण रोकने हेतु तैनात गार्ड।	—	—	6	6
कुल तैनाती		2		34	36

4. मे0 लायन सि0 गार्ड सर्वि0

क्र0सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	गोमती नगर स्थित नवीन बिल्डिग परिसर अण्डर ग्राउण्ड पार्किग, वी0आई0पी0पोर्च सम्मुख पार्किग, बारादरी, तथा आवश्यकतानुसार महिला गार्ड व आवश्यक स्थलों पर 12 गार्ड तैनात है तथा दि0 11 .07.2017 से उपाध्यक्ष महोदय के आदेश के कम में 15 सुरक्षाकर्मी(तीन शिफ्टों में) डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क के वाहय गेट नं0–1,2 व 4 पर तैनात किये गये।	3	9	15	27
2	लाल बाग एल0डी0ए0 कार्यालय	—	3	7	10
3	अलीगंज एल0डी0ए0 स्टेडियम व्यवसायिक कॉम्पलेक्स सेक्टर--जी	1		9	10
4	डॉ राम मनोहर लोहिया पार्क चौक			9	9
कुल तैनाती		4	12	40	56

5. मे0 शिवम सि0 गार्ड सर्वि0

क्र0सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	बेगम हजरत महल पार्क, ग्लोब पार्क बटलर पार्क एवं राजाराम पार्क,अवध कुन्ज, लक्ष्मण पार्क पर तैनात गार्ड	1	—	29	30
कुल तैनाती		1		29	30

6. मे0 मिश्रा सि0 गार्ड सर्वि0

क्र0सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	बुद्धा पार्क एवं सूरज कुण्ड पर तैनात गार्ड विवरण।	1	02 (रात्रि हेतु)	12 गार्ड मय 01 महिला गार्ड सहित	15
	कुल तैनाती	01	02	12	15

7. मे0 निशान्त सिक्योरिटी गार्ड सर्वि0

क्र0सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	नेहरू बाल वाटिका अलीगंज पर तैनात गार्ड	—	—	6	6
कुल तैनाती				6	6

8. मे0रमन सिक्योरिटी गार्ड सर्वि0

क्र0सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	हरदोई रोड स्थित जागर्स पार्क	1	3 (रात्रि हेतु)	11	15
2	दीन दयाल उपाध्याय स्मृति उपवन		—	06	06

3	हरदोई रोड स्थित बंसतकुंज आश्रयहीन भवन अनाधिकृत कब्जा रोकने हेतु			06	06
4	का0रो0यो0 बुद्ध शान्ति उपवन पार्क सं0 3 व 2 बैडमिन्टन कोर्ट तथा वनस्थली पार्क में अधिसाशी अभियन्ता द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों पर निर्देश के कम में।	1		20	21
	कुल तैनाती	2	3	43	48

9. मे0 पैन्थर सिक्योरिटी गार्ड सर्वि0,

क्र0 सं0	तैनाती स्थल का नाम	सुपरवाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	शहीद स्मारक पार्क, शारदा नगर बिजनौर रोड में एच0टी0पी0 25 एकड़ भूमि अधिग्रहित भूमि सुरक्षा (मॉग श्री के0पी0 गुप्ता अ0अमि0 द्वारा) दिनॉक 20.12.2016 से तैनाती	1	3 रात्रि हेतु	11	15
2	गोमती नगर स्थित इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में सभी हॉल व वाहय गेटों पर सुरक्षा हेतु	1	6	20	27
	कुल तैनाती	2	9	31	42

10. पूर्व सैनिक कल्याण निगम

क्र0 सं0	तैनाती स्थल का नाम	सहा0 सुरक्षा अधिकारी/सुपर वाइजर	गनमैन	सुरक्षा गार्ड	तीन शिफ्टों में कुल गार्ड
1	प्राधिकरण भवन पुरानी बिल्डिंग वाहय गेटों, पोर्च, पार्किंग, उपाध्यक्ष महोदय व सचिव महोदय कैम्प कार्या0 तथा दि0 20.07.2017 से प्रमुख सचिव आवास, गौतम पल्ली पर तैनात सुरक्षा कर्मी।	सहा0 सु0अधि0–01 व सुपर0–03	15	21	40
	कुल तैनाती	4	15	21	40

उपरोक्त स्थलों के अतिरिक्त किसी भी अनाधिकृत स्थल तथा अपात्र व्यक्ति के साथ कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किया गया है।

कृपया अवलोकनार्थ।

(अशोक पाल सिंह)
सुरक्षा अधिकारी

अनुलग्नक 23

कार्यालय : सामान्य प्रशासन
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक: 678/सा०प्र०/ 20 /17–18 दिनांक: 08 अगस्त, 2017

श्री मेहदी रजा,
वैयक्तिक सहायक (सचिव कैम्प)

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में स्वीकृत पद के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गयी थी अथवा जिनको शासन द्वारा अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था, को प्राधिकरण से कार्यमुक्त कर दिया गया है। प्रतिनियुक्ति के पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अद्यतन विवरण निम्नवत है:–

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1.	संयुक्त सचिव	02	02 (01 पी0सी0एस0 संवर्ग एवं 01 प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा अधिकारी कार्यरत है।)
2.	नजूल अधिकारी	01	01
3.	तहसीलदार	01	03 (प्राधिकरण की मांग के अनुसार)
4.	लेखपाल	02	02
5.	उपनिरीक्षक(पुलिस)	03	01
6.	आरक्षी	20	15

अतः उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के अनुसार अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

08.8.17

(डा0 महेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव–अधिष्ठान

विषयः—लखनऊ विकास प्राधिकरण की 160वीं बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
अनुपालन :	नोट किया गया।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.10.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
अनुपालन :	नोट किया गया।
विषय संख्या : 3	लामार्टिनियर गर्ल्स कालेज में बनाये गये आडिटोरियम का नाम फरीदा अब्राहम मेमोरियल आडिटोरियम रखे जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उप–प्रधानाचार्य, लामार्टिनियर गर्ल्स कालेज, लखनऊ को कार्यालय पत्र सं0–370 / अ0अ0जे0पी0एन0आई0सी0 / 2017 दिनांक 11.01.17 प्रेषित किया गया। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।
विषय संख्या : 4	अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि में निर्माण के बदले विस्थापित कोटे

का लाभ दिये जाने की मांग के कम में आवेदनों पर विचार करने के लिए कमेटी गठित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उप–समिति गठित की जा चुकी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 5 आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.16 के माध्यम से भूमि अर्जन अधिनियम, पुर्नवास और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013, की धारा–24(2) भूमि अधिग्रहण प्रकिया स्वतः ही व्यपगत हो जाने के कारण प्रार्थिनी की ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या–132 रकबा 1–2–0–0 बीघा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने तथा प्रार्थिनी को कब्जा पुनः प्रदान किये जाने की मांग के क्रम में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनुपालन : प्रस्ताव स्थगित किया गया है। अनुपालन अपेक्षित नही है।

विषय संख्या : 6 प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या–322 क्षेत्रफल 2–10–8–0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने के सम्बन्ध मे।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की अर्जित ग्राम मलेसेमऊ की खसरा संख्या–322 क्षेत्रफल 2–10–8–0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.02 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि विकास शुल्क लेते हुए आवेदिका के पक्ष में यथास्थान समायोजित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अर्जित ग्राम–मलेशेमऊ की खसरा सं0–322, क्षेत्रफल 2–10–8–0 बीघा भूमि के बदले शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि विकास शुल्क लेते हुए आवेदिका के पक्ष में यथा–स्थान समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 7	कानपुर रोड नगर प्रसार भाग–1, 2, 3 व 4 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर समझौते के आधार पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विचार–विमर्श के उपरान्त कमेटी गठित कर विधिक रूप से परीक्षण व पुनर्निधारण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में उप–समिति गठित कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : 8	भूखण्ड संख्या–सीएफ–1/43, गोमती नगर विस्तार वरदान खण्ड–1 में सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन एवं विराज खण्ड–2 में 2000 वर्गमी0 भूखण्ड को सामुदायिक से आवासीय उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विधिक/पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।
अनुपालन :	निर्णयानुसार पुनर्परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।
विषय संख्या : 9	लखनऊ विकास प्राधिकरण में पांच दिवसीय कार्य–सप्ताह लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव स्थगित किया गया।
अनुपालन :	अनुपालन की कार्यवाही अपेक्षित नही है।
विषय संख्या : 10	19 मृतक आश्रित संविदा कार्मिकों में से समूह–ग के 2 तथा समूह–घ के 17 कार्मिकों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	निर्णयानुसार नियमित वेतनमान दिया गया। प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।
विषय संख्या : 11	उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 में उल्लिखित प्राविधानानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 को अंगीकृत किया गया।

अनुपालन : निर्णयानुसार अंगीकृत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 12 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव वापस लिया गया।

अनुपालन : अनुपालन अपेक्षित नही है।

विषय संख्या : 13 उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकरण के सम्बन्ध में।

निर्णय : उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किया गया।

अनुपालन : उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 में प्रस्तावित संशोधन को अंगीकृत किया गया तथा तद्नुसार प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

विषय संख्या : 14 गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 तथा सेक्टर–6 के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित आंशिक संशोधन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रकरण पर जनसाधारण से आपत्ति/सुक्षाव आमंत्रित किये गये थे, जिसके अन्तर्गत प्राप्त आपत्ति/सुझावों की सुनवाई की गयी। प्रकरण पर की गयी कार्यवाही को पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

विषय संख्या : 15 खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर जिला–लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 में से 600 वर्गमी0 भूमि/भूखण्ड, ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनी नगर, जिला–लखनऊ की भूमि महायोजना–2021 के अन्तर्गत दर्शित ग्रीन (पी) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में नागरिक

उड्डयन से अनापत्ति प्राप्त कर परिवर्तन शुल्क लिये जाने की शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत भू–उपयोग विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र सं0–1678/सचिव/सी0टी0पी0/2017 दिनांक 03.01.2017 सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 तथा पत्र सं0–1676/मु0न0नि0/2016 दिनांक 31.12.16 द्वारा निदेशक, एयरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया, अमौसी लखनऊ को अनापत्ति प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया गया।

विषय संख्या : 16 अलीगंज योजना सेक्टर–ओ के अन्तर्गत डाक विभाग, उ0प्र0 सर्किल, लखनऊ की भूमि पर लेवी शुल्क के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा हुई। सरकारी विभागों को समय से धनराशि (ग्रांट) उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्माण में विलम्ब होता है। अतएवं अलीगंज योजना सेक्टर–ओ के अन्तर्गत डाक विभाग को आवंटित लीज पर लगभग 34600 वर्गमी0 भूमि पर आरोपित अनिर्माण शुल्क (लेवी शुल्क) न लिये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अलीगंज सेक्टर–ओ स्थित डाक विभाग, उ0प्र0 सर्किल लखनऊ के मानचित्र (स्वीकृत) को बिना लेवी शुल्क लिये परमिट सं0–39775 दिनांक 25.04.2016 द्वारा निर्गत कर हस्तगत किया गया। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्या : 17 मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमतीनगर के सेक्टर–7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त मे0 ओमेक्स लि0 द्वारा गोमती नगर के सेक्टर–7 के निकट 103.62 एकड़ भूमि पर विकासाधीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संशोधित ले–आउट स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव पर तकनीकी समिति की संस्तुति दिनांक 19.12.2016 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विकासकर्ता मे0 ओमेक्स लि0 का संशोधित विन्यास मानचित्र परमिट सं0–41134 दिनांक 16.02.2017 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

<u>विषय संख्या : 18</u>	सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 तथा तलपट मानचित्र में चार भूखण्डों के स्थानों में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अनुपालन निम्नवत् हैः—

प्रकरण—1: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप ''सुशान्त गोल्फ सिटी'' के अन्तर्गत सेक्टर—'सी, पाकेट—7 के ग्रुप हाउसिंग सख्या—3, क्षेत्रफल—17924.45 वर्गमी0 (4.42 एकड़) प्रस्तावित 49 रो—हाउसिंग भवनों का मानचित्र परमिट सं0—40994 दिनांक 19.01.2017 निर्गत कर दिया गया है।

प्रकरण—2: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप ''सुशान्त गोल्फ सिटी'' के अन्तर्गत सी0बी0डी0 (व्यावसायिक) संशोधित विन्यास मानचित्र (63.37 एकड़) पर तकनीकी समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन हेतु विकासकर्ता को अवगत करा दिया गया है। विकासकर्ता द्वारा अनुपालन अभी नही किया गया है।

प्रकरण—3: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप ''सुशान्त गोल्फ सिटी'' के अन्तर्गत शहीद पक्ष के समानान्तर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या—2 पर प्रस्तुत इण्टरनेशनल ट्रेड पार्क—2 (आई0टी0पी0—2) के व्यावसायिक विन्यास मानचित्र क्षेत्रफल—129128.73 (26.96 एकड़) परमिट संख्या—41150 दिनांक 23.02.2017 निर्गत कर दिया गया है।

प्रकरण—4: मे0 असंल ए0पी0आई0 के हाईटेक टाउनशिप ''सुशान्त गोल्फ सिटी'' के अन्तर्गत सेक्टर—ए, पाकेट—4 फैसिलिटीज/उद्यान/कृषि क्षेत्रफल—20261.54 वर्गमी0 (5.0 एकड़) को आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु एवं सेक्टर—एफ, पाकेट—2 में यातायात फैसिलिटीज (बस डिपो एवं बस टर्मिनल) क्षेत्रफल—18995.01 वर्गमी0 (4.69 एकड़) को कम करते हुए सामान्य फैसिलिटी के 03 भूखण्डों (क्षे0—12000.00 वर्गमी0) का नियोजन करते हुए प्रस्तुत संशोधित पार्ट विन्यास मानचित्र (भू—उपयोग स्वैपिंग) पर तकनीकी समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन हेतु विकासकर्ता को अवगत करा दिया गया है। विकासकर्ता द्वारा अनुपालन अभी नही किया गया है।

विषय संख्या : 19	नियोजित कालोनियों के आवासीय भूखण्डों पर प्रस्तावित अनावासीय (बैंक, नर्सिंग होम, होटल, स्कूल आदि) क्रियाओं के भवन मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
निर्णय :	नियोजित तथा स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत विकसित किये गये आवासीय भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोग की अनुमन्यता हेतु उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–457 / 8–3–16–127विविध / 11, लखनऊ दिनांक 08.07. 2016 के क्रम में प्रस्तुत 21 प्रकरणों के सम्बन्ध में निर्धारित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति एवं संस्तुत मार्ग–दर्शक मानकों सहित यथावत् अनुमोदित किया जाता है।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा जनसाधारण से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित कर निस्तारित कराने तथा मानचित्र की स्वीकृति पर कार्यवाही की जायेगी।
विषय संख्या : 20	आधुनिक तकनीकी परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर हेतु स्वीकृत पदों के पदनाम परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में पदनाम परिवर्तित किये जाने हेतु पत्र सं0–727 / ई0डी0पी0 / 2017 दिनांक 31.03.2017 द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।
विषय संख्या : 21	विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक कॉलेज आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड पर डिग्री कालेज की अनुमति के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त शैक्षिक भूखण्डों हेतु शासनादेश की रियायती दरों के प्राविधानों के अन्तर्गत डिग्री कालेज एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल के अन्तर आंकलित धनराशि ब्याज सहित लिये जाने की शर्त के साथ विनम्र खण्ड, गोमती नगर योजना के अन्तर्गत लखनऊ पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी को आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड में डिग्री कालेज के संचालन की अनुमति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में लखनऊ पब्लिक कालेज को आवंटित हायर सेकेण्ड्री स्कूल भूखण्ड पर डिग्री कालेज के संचालन की अनुमति प्रदान की गयी। निर्णय की सूचना स्कूल के प्रबन्धक को प्रेषित कर दी गयी है। प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

<u>विषय संख्या : 22</u>	गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि खसरा संख्या–128 मकदूमपुर, गोमती नगर, लखनऊ के स्थान पर विस्थापित कोटे में श्रीमती साधना भारद्वाज पत्नी श्री एस0बी0 भारद्वाज को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में श्रीमती साधाना भारद्वाज को विस्थापित कोटे के अन्तर्गत विस्थापन्न नीति के तहत भूखण्ड सं0–6/वी–325 गोमती नगर विस्तार आवंटित करते हुए आवंटन एवं गणनानुसार धनराशि जमा किये जाने की सूचना प्रेषित की जा चुकी है। वांछित धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर की कार्यवाही पूर्ण की गयी।

विषय संख्याः—03 पृष्ठ संख्याः—32

विषयः प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर—4 में दर्शित ट्यूबवेल, क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 को नया आवासीय भूखण्ड सृजित किये जाने एवं सन्निकट स्थित पार्क में ट्यूबवेल हेतु चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्याः

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर—4 के तलपट मानचित्र में जो भूमि ट्यूबवेल हेतु दर्शाई गई है वह भूमि 18.00 मी0, 7.5 मी0 एवं 12.0 मी0 चौडे मार्गो के कार्नर पर स्थित है तथा अभियन्त्रण अनुभाग की आख्या के अनुसार अभी तक इस भूमि पर ट्यूबवेल को स्थापित नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि श्री इत्तिफाक हुसैन व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0—177/एल0ए0/14 व अवमाननावाद सं0—1852/सी0/2016 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में तहसीलदार—अर्जन द्वारा याची को 2265.00 वर्गफुट भूमि उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। (अनुलग्नक—1 पर संलग्न) अधिशासी अभियन्ता, जोन—1 (अनुलग्नक—2 पर संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया कि गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर—4 में स्थित ट्यूबबेल हेतु चिन्हित भूमि को याची को दिये जाने हेतु प्रस्तावित की जा सकती है तथा ट्यूबबेल का प्रस्ताव स्थल के निकट स्थित पार्क में सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर—4 में स्थित ट्यूबवेल हेतु चिन्हित भूमि पर एक नया भूखण्ड 1291ए, क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 (2317.88 वर्गफुट) सृजित करते हुए संशोधित पार्ट तलपट मानचित्र तैयार किया गया है। (अनुलग्नक—3 पर संलग्न)

<u>प्रस्तावः</u>

उपरोक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर—4 में दर्शित ट्यूबवेल को सन्निकट स्थित पार्क में स्थापित किये जाने एवं ट्यूबवेल हेतु चिन्हित भूमि पर भूखण्ड सं0—1291ए, क्षेत्रफल 215.38 वर्गमी0 सृजित किये जाने हेतु तलपट मानचित्र में आवश्यक संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है। सहमति की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

TP CTP

अनुलग्नक-1

33

कार्यालयः तहसीलदार–अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्रांक 82/ए0सी0/तह0/17 दिनांक 13.02.2017

संयुक्त सचिव–सम्पत्ति
गोमतीनगर, विस्तार।

कृपया तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 14.12.2016 के कम में अवगत कराना है कि श्री इलतिफ़ात हुसैन व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सख्या–177/एल0ए0/14 इलतिफात हुसैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.16 को आदेश पारित किये गये है, जो निम्न है :–

We are of the view, that ends of justice would meet at this stage, if a direction is issued to the opposite party no.2 i.e. Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow to take a decision on the petitioner's representation 18.03.2008 expeditiously preferably within three months from the date of the communication of this order.

With the above observations, the writ petition is disposed of accordingly."

मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सख्या–177/एल0ए0/14 इलतिफात हुसैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.04.16 के कम में याचीगण द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.16 के माध्यम से ग्राम उजरियांव परगना तह0 व जिला लखनऊ की खसरा संख्या–889/2879 रकबा 1–9–0–0 बीघा भूमि में से 1/8 भाग (4800 वर्गफुट) भूमि के समायोजन अथवा प्रतिकर की मांग की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.04.16 के अनुपालन में याचीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.16 व 13.01.2017 में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त निम्न तथ्य स्पष्ट होते है :–

1. ग्राम उजरियांव की खसरा संख्या–889/2879 का कुल रकबा 1–9–0–0 बीघा है, जिसमें से 0–1–9–0 बीघा भूमि का अधिग्रहण उजरियांव आवासीय योजना भाग–1 के अन्तर्गत वर्ष 1983 में किया जा चुका है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन कमशः दिनांक 19.01.1983 व 28.01.1983 को शासन द्वारा जारी किया जा चुका है तथा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 23.09.1986 को घोषित किया जा चुका है तथा भूमि का कब्जा दिनांक 2603.1983 को ल0वि0प्रा0 को प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार भूमि की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ल0वि0प्रा0 में निहित हो चुका है।

2. ग्राम उजरियाव की खसरा संख्या–889 / 2879 रकबा 0 1 9 0 बीघा भूमि पर ... विवाद होने के कारण प्रतिकर की धनराशि मा0 जिलाजज न्यायालय में ... है।
3. ग्राम उजरियाव की खसरा संख्या–889 / 2879 का कुल रकबा 1–9 0 0 बीघा भूमि में से 0–1–9–0 बीघा भूमि अर्जित है तथा क्षेत्रफल 1–7–11–0 बीघा भूमि अनार्जित है। अनार्जित क्षेत्रफल 1–7–11–0 बीघा भूमि में से 1–5–10–0 बीघा भूमि को हितबद्ध काश्तकार द्वारा श्री दुर्गेश सक्सेना को विकय किया गया है।
4. उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपने हिस्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि के समायोजन किये जाने की सहमति से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पत्र दिनांक 02.11.16 के माध्यम से याचीकर्ता को पत्र प्रेषित किया गया।
5. दिनांक 02.11.16 के कम में याची द्वारा दिनांक 13.01.2016 के माध्यम से 4800 वर्गफिट का स्वत्व अपने व अपने भाइयों के पक्ष में बताया।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में याची श्री इलतिफात हुसैन व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या–1852 / सी0 / 2016 श्री इलतिफात हुसैन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.16 को आदेश पारित किया गया है, जो निम्न है :–

Compliance affidavit filed is taken on record.

Sri Nadeem Murtaza, learned counsel for the opposite party, submitted that he may be granted some more time to file a better affidavit of compliance.

Appreciating the request of Sri Nadeem Murtaza, learned counsel for the opposite party, he is permitted to file a better affidavit of compliance.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.16 के अनुपालन में याची श्री इलतिफात हुसैन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.16 के अनुपालन में याची श्री इलतिफात हुसैन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.16 व 18.03.2008 के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 06.05.16 को अर्जित भूमि के मध्य अनार्जित भूमि का 50 प्रतिशत भूमि का समायोजन किये जाने का निर्णय के कम में सम्पत्ति अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि, भूखण्ड संख्या–डी–4 / 676सी गोमतीनगर विस्तार में रिक्त है जिसे याची को दिया जा सकता है, ताकि प्रकरण का निस्तार हो सके।

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 के अनुपालन में याची श्री इल्तिफात हुसैन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 27.04.2016 व 18.03.2008 व 13.01.2016 के सम्बन्ध में इनकी भूमि 4800 वर्गफुट का समायोजन किये जाने का अनुरोध किया है।

शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार आवासीय सहकारी समितियों को 50 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने का प्राविधान है, परन्तु इल्तिफात हुसैन द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 13.01.2017 में अपनी भूमि को किसान की भूमि बताते हुए कहा है कि इस पर निबन्धित सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन हेतु जारी शासनादेश लागू नहीं होंगे अतएव मेरी समस्त 4800 वर्गफिट के बदले 270 वर्गफिट अर्जित भूमि निकालकर शेष 4530 वर्गफुट भूमि का समायोजन किया जाये। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक [illegible].12.2016 को [illegible] [illegible] [illegible] विकसित भूखण्ड संख्या–डी–4/[illegible] को आवंटित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की [illegible] शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के क्रम में [illegible] की बोर्ड बैठक दिनांक [illegible].2016 द्वारा अनार्जित भूमि का 50 प्रतिशत लिये जाने की व्यवस्था है, जिसके क्रम में आवंटी को [illegible] वर्गफुट का 50 प्रतिशत 2265 वर्गफुट भूमि उपलब्ध कराया जाना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार 2265 वर्गफुट के [illegible] [illegible] [illegible] उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पत्रावली को देखकर [illegible] की [illegible] [illegible] जा सके।

2265 [illegible]

([illegible] [illegible] [illegible])
[illegible]

अनुलग्नक-2

36

कार्यालय : अधिशासी अभियन्ता–जोन 1
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्र संख्या [illegible]/अधि.अभि./जोन–1/2017 दिनांक [illegible]/[illegible]/2017

मुख्य नगर नियोजक,

श्री इलतिफात हुसैन व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 177/एल.ए./14 व अवमाननावाद संख्या 1852/सी./2016 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सम्यक अनुपालन हेतु सम्पत्ति विभाग द्वारा भूखण्ड संख्या डी–4/676 सी गोमती नगर विस्तार याची को दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। इस सम्बन्ध में तहसीलदार–अर्जन के पत्र दिनांक 13.02.2017 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रकरण के समाधान हेतु याची को 2265 वर्गफुट भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, जबकि भूखण्ड संख्या डी–4/676 सी क्षेत्रफल इतना नहीं है।

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर–4 में भूखण्ड संख्या 1280–1311 स्थित पॉकेट की मॉपे संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि कदाचित ट्यूवेल हेतु चिन्हांकित भूमि याची को दिये जाने हेतु प्रस्तावित की जा सकती है। कृपया संलग्न प्लान के अनुसार स्थलीय मापों के आधार पर पॉकेट के पुर्नविनियोजन की कार्यवाही प्राथमिकता पर कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अवमाननावाद का सम्यक निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक– यथोपरि।

(रोहित खन्ना)
अधिशासी अभियन्ता, जोन–1

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. तहसीलदार–अर्जन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रोहित खन्ना)
अधिशासी अभियन्ता, जोन–1

17/7/17

अनुलग्नक-3

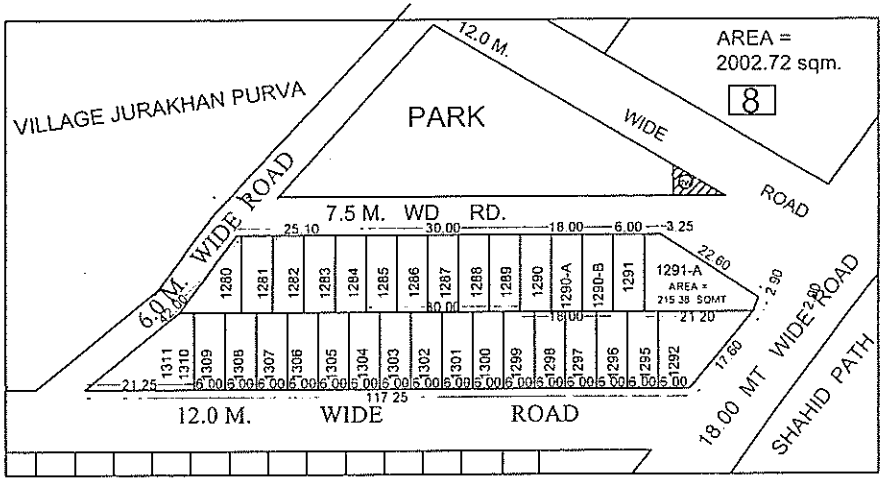

PROPOSED LAYOUT PLAN

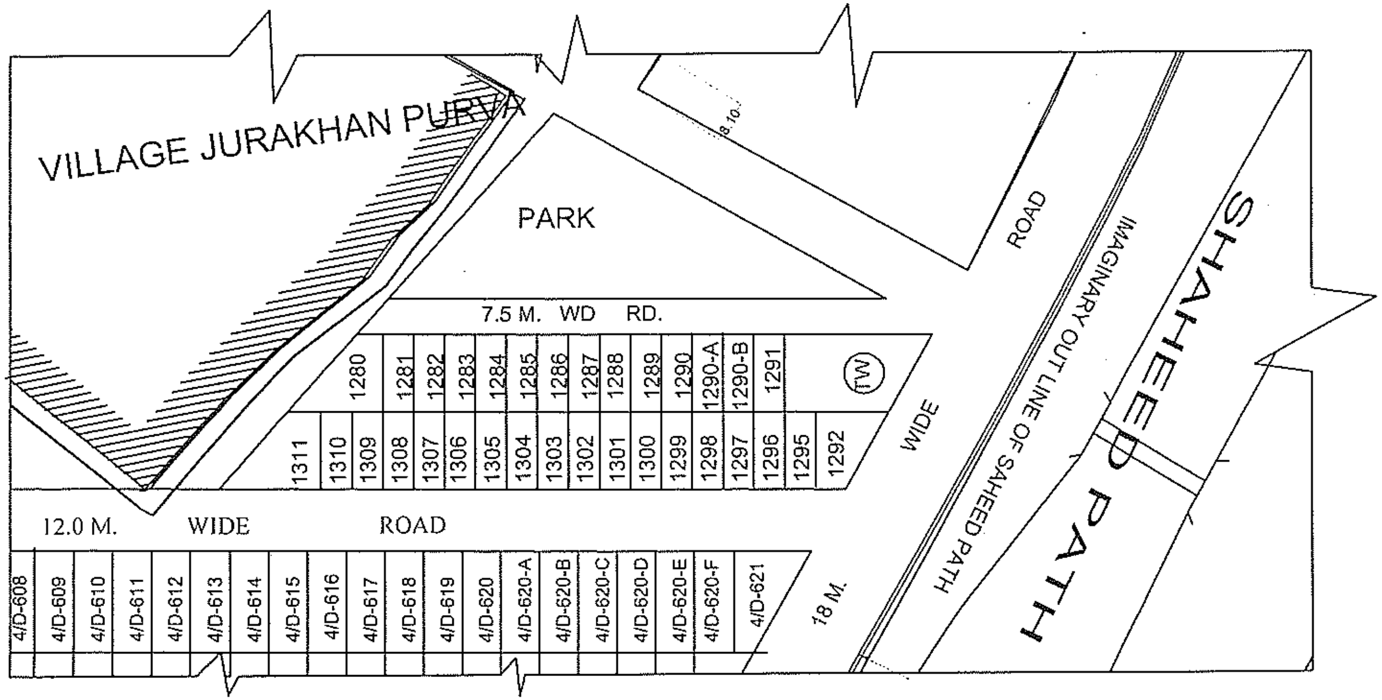

SANCTIONED LAYOUT PLAN

PART LAY OUT PLAN
PLOT NO:- 4/1280 TO 4/-1311 & SHOWN TUBWELL THUS PROPOSED IN PARK SECTOR-4 GOMTI NAGAR VISTAR LUCKNOW.

S.NO	AS PER SANCTIONED LAYOUT	PROPOSED CHANGE
1	TUB WELL	1291-A
2	PARK	TUBWELL IN PARK

PROPOSED CHANGES SHOWN THUS

NOTE

PART LAYOUT PLAN REVISED ACCORDING TO THE LATEST SERVEY/ DIMENSION GIVEN BY EX.EN. ZONE-1 ON DATED 14.07.2017.

REVISION

DRG NO PART LAY OUTPLAN SEC-4/GNE/17

DATE - 1-08-2017

DEALT BY - SUKHBIR SINGH

CHECKED BY-

NOT TO SCALE

N

A.E T.P

EX. EN. C. T.P

ANIL BHATNAGAR
AD.SECY

P.N SINGH
V.C

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत संविदा वाहन चालकों को नियमित वेतनमान एवं उस पर समय–समय पर देय महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड पे भवन भत्ता, नगर प्रतिकरण भत्ता, प्राधिकरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं एन0पी0ए0 भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान समय में दो वाहन चालक श्री राम निवास मौर्य एवं श्री सुनील यादव, संविदा पर कार्यरत है। जो शासन द्वारा विनियमितिकरण हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 31.12.2001 के पश्चात् रखे गये है। वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–वे0आ0–2–562/दस–54(एम) 2008 टी.सी. दिनांक 30.08.2013 द्वारा मानदेय/नियत वेतन/संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रस्तर–1 में निर्णय लिया गया है कि "संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का नियमित वेतनमान तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय महंगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा राशि उन्हीं कर्मिकों को अनुमन्य करायी जाये जो पद हेतु न्यूनतम अर्हता रखते हों।

अवगत कराना है कि वर्तमान में चालक पद हेतु न्यूनतम अर्हता कक्षा–8 पास तथा वैध ड्राइविंग लाइसेन्स होना निर्धारित है। प्राधिकरण में कार्यरत दोनो संविदा चालकों द्वारा उपरोक्त अर्हता की पूर्ति की जा रही है। दोनों संविदा चालकों को उपरोक्तानुसार पद का नियमित वेतनमान बैण्ड रू0–5200 तथा ग्रेड–पे रू0–1900 तथा उस पर समय–समय पर देय महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ग्रेड–पे, भवन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, प्राधिकरण भत्ता, वाहन भत्ता एवं एन.पी.ए. भत्ता दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 26.12.2016 द्वारा संविदा पर अन्य कार्यरत समूह 'ग' के 02 तथा समूह 'घ' के 17 कार्मिकों को नियमित वेतनमान दिये जाने का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अतएव उपरोक्तानुसार ही 02 संविदा वाहन चालकों को न्यूनतम वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे एवं समय–समय पर देय महंगाई भत्ता, मकान भत्ता एवं प्राधिकरण में संविदा कार्मिकों को प्राप्त हो रहे अन्य भत्तो को जोड़कर पारिश्रामिक दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
अवर वर्ग सहायक
ल0वि0प्रा0

अनुभाग अधिकारी (अधिष्ठान)
ल0वि0प्रा0
लखनऊ

05/01/18
(राजेश कुमार शुक्ला)
तहसीलदार
ल0वि0प्रा0

(डा0 धीरेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

विकास प्राधिकरणों में समूह ''ग'' एवं ''घ'' (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दिनांक 31 दिसम्बर 2001 तक दैनिक वेतन/वर्कचार्ज/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमित किये जाने हेतु प्राधिकरण में समूह ''घ'' के अन्तर्गत वर्कचार्ज पर कुल 44 कर्मचारी, 01 दैनिक वेतन एवं मृतक आश्रित संविदा के रूप में 18 कर्मचारी, जिसमें समूह ''ग'' के 02 कर्मचारी कार्यरत है।

वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अक्टूबर 2004 से नियमित वेतनमान की सुविधा प्राप्त हो रही है, तथा 7 वें वेतन का लाभ दिनांक 26.12.2007 से दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों में से दैनिक वेतन एवं वर्कचार्ज के 38 कर्मचारी तथा मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों में से कुल 06 कर्मचारी जिनकी नियुक्ति दिनांक 31.12.2001 से पूर्व की है। इस प्रकार कुल (दैनिक वेतन वर्कचार्ज के 38 एवं मृतक आश्रित संविदा के कुल 06 कर्मचारी जिसमें समूह ''ग'' के 01 कर्मचारी एवं 05 समूह ''घ'' के कर्मचारी है।)

इन कर्मचारियों के विनियमितिकरण हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 द्वारा शासनादेश सं0–44/2015/वे0आ0–2/795/दस–54(एम)/2008टीसी दिनांक 13.08.2015 एवं शासनादेश सं0–09/2016/वे0आ0–02–201/10–2016–आठ(मु0स0स0)/2011टीसी दिनांक 24.02.2016 द्वारा विनियमितिकरण हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर 2001 से पूर्व से कार्यरत दै0वे0भो/वर्कचार्ज एवं मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों के पद रिक्त न होने की दशा में अधिसंख्य पदो के सृजन एवं उक्त पदो के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे के क्रम में 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार प्रस्तावित पदो के वेतन से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा वांछित प्रारूप पर प्राधिकरण के पत्र संख्या 16/सा0प्र0/2017 दिनांक 08.05.2017 एवं पत्र संख्या:17/सा0प्र0/दिनांक 08.05.2017 को भेजा जा चुका है। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या:220(1)/आठ–10–17–121/2014 दिनांक 17. जुलाई 2017 द्वारा कार्यरत दै0वे0भो/वर्कचार्ज एवं मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों को विनियमित किये जाने

(रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव) अवर वर्ग सहायक ल0वि0प्रा0
अनुभाग अधिकारी (अधिष्ठान) ल0वि0प्रा0 लखनऊ
(राजेश कुमार शुक्ला)
(डा० महेन्द्र कुमार मिश्रा) संयुक्त सचिव ल0वि0प्रा0, लखनऊ

के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा प्राख्यापित ''उ0प्र0(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक महदूरी या कार्य प्रभार पर कार्यरत या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 को अंगीकृत करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराकर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः उपरोक्त नियमावली प्राधिकरण में लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

(रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
अवर वर्ग सहायक
ल०वि०प्रा०

अनुभाग अधिकारी
ल०वि०प्रा०
लखनऊ

(राजेश कुमार शुक्ला)
तहसीलदार
ल०वि०प्रा०

(महेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव,
ल०वि०प्रा० लखनऊ

अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-9/ 2016/ 2/ 1/ 97/ का-2/ 2016

लखनऊ :: दिनांक 12 सितम्बर, 2016

अधिसूचना संख्या-9/ 2016/ 2/ 1/ 97/ का-2/ 2016, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार श्रीवास्तव

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-9/ 2016/ 2/ 1/ 97-का-2/ 2016

लखनऊ, दिनांक: 12 सितम्बर, 2016

<u>अधिसूचना</u>

<u>प्रकीर्ण</u>

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016

संक्षिप्त और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

जहाँ यह नियमावली विनियमितीकरण के लिये लागू न होगी

2. यह नियमावली निम्नलिखित के विनियमितीकरण के लिए लागू नहीं होगी:

(एक) मौसमी संग्रह अमीन/ मौसमी चपरासी;

(दो) उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग और ऐसे समरूप विभागों में मौसमी कार्यों के लिये लगे हुए/ नियोजित/ परिनियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों;

(तीन) राज्य सरकार की योजनाओं/ परियोजनाओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में समेकित वेतन/ नियत मानदेय पर लगे हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों;

(चार) होम गार्ड स्वयंसेवक और प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवक के रूप में लगे हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों;

(पॉच) शिक्षा मित्र और किसान मित्र के रूप में लगे हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों;

(छ:) मनरेगा योजना (ग्राम्य विकास विभाग) के अधीन लगे हुए/ नियोजित/ अभिनियोजित व्यक्ति/ व्यक्तियों;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

विनियमितीकरण 6.(1) किसी व्यक्ति को -

(एक) जो किसी सरकारी विभाग में 31 दिसम्बर, 2001 को या उससे पूर्व समूह 'ग' या समूह 'घ' के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर दैनिक वेतन/ मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर सीधे लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो और इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उस रूप में लगा हुआ या नियोजित या अभिनियोजित या कार्य कर रहा हो; और

(दो) जो सुसंगत सेवा नियमावली और उपरिलिखित नियम 2 और 5 के उपबन्धों के अध्यधीन दैनिक मजदूरी या कार्य-प्रभार या संविदा पर ऐसे विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के समय उस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए विहित अपेक्षित अर्हताएं रखता हो;

समूह 'ग' या समूह 'घ' के पद (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) पर स्थायी या अस्थायी रिक्ति में जो इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को उपलब्ध हों, नियमित नियुक्ति के लिए ऐसी रिक्ति में सुसंगत सेवा नियमावली या आदेशों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति करने के पूर्व, उसके अभिलेख और उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियाँ करने में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और इस नियमावली के अधीन विनियमितीकरण के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

(3) उप नियम (1) के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी सेवा नियमावली के संगत उपबन्धों के अनुसार एक चयन समिति का गठन करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, उप-नियम (1) के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची उस ज्येष्ठता-क्रम में तैयार करेगा जैसा कि दैनिक मजदूरी पर, कार्य-प्रभार पर या संविदा पर विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के दिनांक से अवधारित हो और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ लगे हों या नियोजित हो या अभिनियोजित हों तो उस क्रम में तैयार करेगा जिस क्रम में उनके नाम उक्त विनियोजन या नियोजन या अभिनियोजन के आदेश में क्रमबद्ध किये गये हों। सूची को उनकी चरित्रपंजियों और उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित जो उनकी उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए विचारार्थ आवश्यक हों, चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(5) चयन समिति अभ्यर्थियों के मामलों पर उप-नियम (4) में निर्दिष्ट उनके अभिलेखों के आधार पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी करेगी।

(6) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों के नाम ज्येष्ठता-क्रम में रखते हुए एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियुक्तियाँ

7. नियुक्ति प्राधिकारी नियम 6 के उप-नियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन उक्त नियम के उप-नियम (6) के अधीन तैयार की गयी सूची में से नियुक्तियाँ उस क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

नियुक्तियों को सुसंगत सेवा नियमावली आदि के अधीन किया गया समझा जायेगा

8. इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियाँ सुसंगत सेवा नियमावली या आदेशों के, यदि कोई हों, अधीन की गई समझी जायेंगी।

ज्येष्ठता

9. (1) इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति इस नियमावली के अनुसार विनियमितीकरण के लिए चयन के पश्चात् केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में, इस नियमावली के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व, संगत सेवा नियमों या यथास्थिति, नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायगा।

(2) यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाय तो उनकी परस्पर जयेष्ठता नियुक्ति के आदेश में उल्लिखित क्रम में अवधारित की जायगी।

सेवा की समाप्ति

10. ऐसे व्यक्ति की सेवाएं जो दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहा हो और जो इस नियमावली के अधीन विचार किये जाने के पश्चात् उपयुक्त न पाया जाय, तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और ऐसी समाप्ति पर वह एक मास का वेतन पाने का हकदार होगा।

अपवाद

11. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी विभाग में दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों के विनियमितीकरण के लिए किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गयी है वहाँ सम्बन्धित विभाग मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।

विनियमितीकरण अधिकार का विषय नहीं

12. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा अधिकार के विषय के रूप में विनियमितीकरण के लिए दावा नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

13. (1) उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1998 और उत्तर प्रदेश समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियमों के अधीन इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी नियुक्तियाँ, इस नियमावली के अधीन की गयी समझी जायेंगी मानो इस नियमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

विषयः लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यों के लिए सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी की संविदा के आधार पर विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवा लिए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 के विषय संख्या–21 लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा लिए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निम्न निर्णय लिया गया :–

"सम्यक विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा लिए जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तर–4 एवं 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई।" (संलग्नक–1)

2. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिनांक 28.02.2015 को दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति के आधार पर प्राधिकरण स्तर पर एक सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार एवं एक सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी एक वर्ष हेतु ली गयी थी, जिसमें सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी को पुनः अग्रिम अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया तथा एक सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार की एक वर्ष के अग्रिम सेवावृद्धि प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में इनकी सेवाएं ली जा रही है।

3. शासन द्वारा प्राधिकरण को लैण्ड बैंक में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर दिशानिर्देश दिये जाते है, जिसके दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नवीन आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण व गोमतीनदी के बायें एवं दाये तटबंध पर बंधे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त खदरा से हरदोई–सीतापुर रोड बाईपास के मध्य प्रस्तावित किये गये बंधे के समरेखन में आने वाले ग्राम–घैला, बरावन कला, लोहरामऊ, दाउदनगर व कुलवागाढ़ा की भूमि के अधिग्रहण की योजना का कियान्वयन किया जाना है।

4. लैण्ड बैंक में वृद्धि किये जाने के संदर्भ में लखनऊ विकास क्षेत्र के सीमा में सम्मिलित किये गये 197 गांवों में से सुलतानपुर रोड व तहसील बक्शी का तालाब में प्रस्तावित 16 ग्रामों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने की प्रकिया पूर्ण की जानी है। प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में चल रहे वादों में तथा स्थल पर सीमा विवाद होने के दृष्टिगत सीमांकन पैमाइश का भी कार्य किया जाना होता है, जिसमें प्रभावी कार्य किये जाने हेतु अनुभवी एवं सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी की विशेषकार्याधिकारी के रूप में सेवा लिये जाने की आवश्यकता है।

D:\Tahshildar 2017\Bord Suresh\2017\SAMViDA.doc

5. तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए श्री बंशस्वरूप गुप्त, सेवानिवृत्त, पी0सी0एस0 अधिकारी को दिनांक 29.11.2017 के आदेश संख्या–1665 / सा0 प्र0 / 2017 द्वारा बोर्ड से स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 01.12.2017 से तैनात कर दिया गया है।

6. पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित सेवा एवं शर्तो के सम्बन्ध में यह उपबन्धित है कि "अन्तिम आहरित वेतन में से पेंसन की राशि घटाने पर जो शेष धनराशि बचती है, मानदेय के रूप में देय होगी तथा संविदा अधिकारी / कर्मचारी की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी।" इस प्रकार सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 स्तर के अधिकारी को विशेष कार्याधिकारी के रूप में रखे जाने का कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क.सं.	कार्मिक	आयु	योग्यता	संख्या	मानदेय
1.	सेवानिवृत्त पी.सी.एस. स्तर के अधिकारी को विशेष कार्याधिकारी के रूप में	65 वर्ष से अधिक नहीं होगी	भू–अर्जन व राजस्व अभिलेखों का ज्ञान	1	अनुमन्य सेवा एवं शर्तो के अनुसार अंकित कर्मी के लिए उनके अन्तिम आहरित वेतन में से पेंशन की राशि घटाने पर जो शेष धनराशि बचती है, मानदेय के रूप में देय होगी।

7. उपरोक्तानुसार कर्मी की सेवा एक वर्ष हेतु ली जायेगी, सेवाएं संतोषजनक होने पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अगले 2 वर्षो तक एक–एक वर्ष की सेवा बढ़ायी जायेगी।

प्रस्ताव:–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यो के लिए सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी की संविदा के आधार पर विशेष कार्याधिकारी के रूप में सेवा लिए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 153वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

01.	श्री महेश कुमार गुप्ता	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री राज शेखर	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री शिवजनम चौधरी	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
06.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
07.	श्री पी0सी0 श्रीवास्तव	अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
8.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
9.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0
10.	श्री इशहाक गुड्डू	सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थिति :

11.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा	सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
13.	श्री रणविजय सिंह	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0

विषय संख्या : 16	उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में वर्तमान में प्रचलित अर्थदण्ड की धनराशि को 10 गुना किये जाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संशोधन हेतु संदर्भित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 17	लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण हेतु भूमि जुटाव के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को नीति-विषयक निर्णय हेतु विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रेषित की जाय।
विषय संख्या : 18	उपाध्यक्ष के आवास एवं आवास कैम्प कार्यालय हेतु स्थल चयन निर्माण व अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 19	जानकीपुरम् विस्तार योजना के सीवरेज निस्तारण हेतु प्रस्तावित इंटरमीडिएट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन हेतु आवश्यक भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त जानकीपुरम् विस्तार योजना सेक्टर-1 में भू-विन्यास में इंगित पोस्ट आफिस स्थल में इण्टरमीडिएट सीवरेज पम्पिंग स्टेशन बनाये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
विषय संख्या : 20	गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1 के फैसिलिटी भूखण्ड से संलग्न अतिरिक्त भूमि को आवासीय भूखण्डों के सृजन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।
विषय संख्या : 21	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव के प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>अनु0वि0सं0 : 07</u>

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के पत्र संख्या-2120/आठ-6-14-28ई/05टी0सी0 दिनांक 22.09.2014 के अनुक्रम में श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी/लेखा-लिपिक (प्रतिनियुक्ति) की लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रधान लिपिक/अनुभाग अधिकारी के पद पर आदेश सं0-1267/सा0प्र0/14-15 दिनांक 20.01.15 द्वारा वेतनमान रू0-5200-20200 ग्रेडपे-2400 में संविलियन उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 31.08.2012 के अनुपालन में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अवलोकित किये जाने के संबंध में।

<u>निर्णय :</u> प्रस्ताव अवलोकित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

(महेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय संख्या- 07

विषय :-अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम मकदूमपुर की अर्जित भूमि खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.16 में पारित निर्णय, जो कि शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण रिट याचिका संख्या-67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या-4297/एम0 बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.16 के आलोक में निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम-मखदूमपुर की भूमि खसरा संख्या-242 रकबा 2-12-14-0 बीघा भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2000 में किया जा चुका है, जिसकी भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 05.09.2000 व 16.02.01 को शासन द्वारा जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा 11.07.2002 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा दि0-21.10.08 को अभिनिर्णय घोषित किया जा चुका है।

2. अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा दिनांक 21.10.08 को घोषित अभिनिर्णय में खाता संख्या-158 पर अंकित है :-

"खसरा संख्या-242अ रकबा 1-5-0-0 बीघा व खसरा संख्या-242ब रकबा 1-7-14-0 बीघा कुल रकबा 2-12-14-0 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में रमेश चन्द्र, सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, महेश चन्द्र, राकेश कुमार, दिवेश कुमार, बृजेश कुमार बालिक, आलोक कुमार न0ब0सं0, श्रीमती दुर्गादेवी माता स्वयं पुत्रगण अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम के नाम अंकित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में रमेश चन्द्र पुत्र अयोध्या ने आपत्ति पत्र प्रस्तुत करके कहा है कि वर्ष 1975 से मकान पक्का बना है, तथा बोरिंग टयूब्बेल लगा है। भूमि/भवन को मुक्त करने को कहा है तथा 50 पेड सागवन, 2 आम, 8 सिंघडी, 5 सहतूत, 2 यूकेलिप्टिस होना बताया है। उक्त भूमि में डी0ए0पी0एस0 के नाम से स्कूल चल रहा है तथा अयोध्या प्रसाद की समाधि स्थित है। अतः भूमि/भवन को मुक्त किया जाना इस स्तर से सम्भव नही है तथा प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा।

3. प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या-242 स्थित ग्राम मखदूमपुर की भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा अपने पत्र संख्या-1840/8-भू0अ0, न0म0पा0-प्रथम/लखनऊ दिनांक 20.12.14 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भूमि का प्रतिकर भू-स्वामियों द्वारा प्राप्त न करने के फलस्वरूप भूमि अध्याप्ति अधिनियम में निहित

(उदय नारायण)
सर्वेयर-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(स्निग्धा चतुर्वेदी)
नायब तहसीलदार-अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

(विश्व भूषण मिश्र)
प्रभारी अधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

4. पूर्व में प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा पत्रों के माध्यम से डी0ए0पी0 विद्यालय और समाधि को स्थल पर आरक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया था, के कम में गत पृष्ठ संख्या–8 से 9 पर विभागीय आख्या अंकित कर प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24.03.09 को बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष इसका औचित्य परीक्षण किये जाने व अपरिहार्य हो तो बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में समिति की बैठक आहूत किये जाने हेतु पत्रावली तत्कालीन सचिव महोदय द्वारा दिनांक 24.04.09, 14.12.10 व 05.08.11 की तिथि नियत की गयी, परन्तु उक्त तिथि पर बैठक नही हो सकी।

5. उक्त भूमि पर डी0ए0पी0 स्कूल का निर्माण धारा–4/17 की विज्ञप्ति के पश्चात का है। भूमि खसरा संख्या–242 स्थित ग्राम मखदूमपुर के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–67/एल0ए0/2010 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.15 **(संलग्नक–1)** को स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो निम्न है:–

The submission of learned counsel for the Lucknow Development Authority is that, as alleged by the petitioners, some school has been constructed in an area of 106 Sq.Mtr. The acquisition has been challenged only on the amended provisions of the Land Acquisition Act.

Learned counsel for the respondents has submitted that the compensation has been deposited in the Court of District Judge.

The question as to whether the petitioners would be entitled for the benefit of Section 24 (2) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 or not, will be considered after the counter affidavit is filed by the State to the amended portion of the writ petition. But so far as the interest of the petitioners is concerned, it will be secured in case the interim order is restricted only to the extent of 106 Sq.Mtrs.

Learned counsel for the petitioners has placed reliance upon a decision of the Apex Court in the case of Pune Municipal Corporation and another Vs. Harakchand Misirimal Solanki and others, reported in (2014) 3 SCC 183, wherein it has been held that the amount should be deposited in the Court. Learned counsel for the petitioners submits that the amount has not been deposited in Court, which has been refuted by the learned counsel for the respondents, saying that the compensation has been deposited in the Court of District Judge.

The Apex Court in the case of Pune Municipal Corporation (supra), in paragraph 20 held as under:-

"20. From the above, it is clear that the award pertaining to the subject land has been made by the Special Land Acquisition Officer more than five years prior to the commencement of the 2013 Act. It is also admitted position that compensation so awarded has neither been paid to the landowners/persons interested nor deposited in the court. The deposit of compensation amount in the Government treasury is of no avail and cannot be held to be equivalent to compensation paid to the landowners/persons interested. We have, therefore, no hesitation in holding that the

उदय नारायण
...-अर्जन
(स्निग्धा चतुर्वेदी)
तहसीलदार–अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
(विनोद भूषण मिश्र)

subject land acquisition proceedings shall be deemed to have lapsed under Section 24 (2) of the 2013 Act."

The aforesaid finding recorded by the Apex Court goes to indicate that the opposite parties have substantially fulfilled the requirement of the provisions of the Land Acquisition Act, therefore, taking into consideration the interest of the petitioners at the moment, we modify the interim order to the extent of an area of 106 Sq.Mtrs., on which a school has been constructed shall not be disturbed.

Learned counsel for the petitioners has cited another judgment rendered by a Division Bench of this Court in the case of Bhusai Vs. State of U.P. and others [Writ Petition (Land Acquisition) No.42 of 2014], decided on 05.09.2014. However, the learned Additional Chief Standing Counsel has informed that against the aforementioned judgment of the Division Bench, a review petition is pending consideration.

Connect and list this writ petition with Writ Petition No.1534 (MB) of 2012. The interim order, granted by this Court in favour of the petitioners is modified to the extent mentioned herein above.

याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित की गई रिट याचिका संख्या–67/एलए/2010 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

6. इसी मध्य विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री उ0प्र0, शासन लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–1142/ओ0एस0डी0/सी0एम0/2016 दिनांक 28.05.16 व पत्र संख्या–1142/ओ0 एस0डी0/सी0एम0/2016 दिनांक 01.05.16 के माध्यम से आवेदक के दिनांक रहित प्रार्थना पर विधिवत परीक्षण कराने के उपरान्त तत्सम्बंधी कार्यवाही कर इनका प्रकरण निस्तारित किये जाने एवं आवेदक के एक अन्य दिनांक रहित प्रार्थना पत्र पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनाक 04.06.16 को पत्रावली सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है तथा प्रश्नगत प्रकरण में शासन द्वारा शासनादेश संख्या–346/8–3–16–38एलए/13 दिनांक–06.06.16 के माध्यम से गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम–मखदूमपुर की खसरा संख्या–242 में स्थित डी.ए.पी. विद्यालय के सम्बन्ध में नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के प्राविधानों के आलोक में प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने/निस्तारण किये जाने की कार्यवाही प्राधिकरण स्तर से समयबद्ध रूप से कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

7. अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित ग्रामों मे मलेशेमऊ, मखदूमपुर, हुसडिया, अहमामऊ, अरदौनामऊ, शकूरपुर, मुजफफरनगर घुसवल व हरिहरपुर की 1747–11–19–10 बीघा भूमि पर नियोजन/विकास की कार्यवाही की जा चुकी है, जिसमे ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या–242 भी सम्मिलित है। विकसित भूमि सार्वजनिक उपयोग की समस्त सुविधाये जैसे–सडक, पानी, बिजली इत्यादि उपलब्ध है। उक्त भूमि पर आवेदक श्री सुरेश यादव आदि का कब्जा है। तथा भूमि का प्रतिकर उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त न करने के फलस्वरूप भूमि अध्याप्ति अधिनियम में निहित व्यवस्था के अनुसार धारा–31(2) के अन्तर्गत मा0 जनपद न्यायालय, लखनऊ में अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा दिनांक 30.09.14 को सन्दर्भित की जा चुकी है। अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत

नारायण
भूअर्जन-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(स्निग्धा चतुर्वेदी) (विश्व भूषण मिश्र)
नायब तहसीलदार–अर्जन
ल०वि०प्रा०, लखनऊ

1747–11–19–10 बीघा भूमि का अर्जन वर्ष 2000 में किया जा चुका है। समस्त अर्जित भूमि में नियोजन/विकास कार्य की कार्यवाही वर्ष 2005 तक पूर्ण कर ली गयी थी।

8. नये भू–अर्जन अधिनियम "भू–अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा–24(2) की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यदि अर्जित भूमि पर निर्धारित अवधि तक अर्जन निकाय द्वारा कब्जा व सम्पूर्ण अर्जित क्षेत्रफल पर निकाय द्वारा विकास कार्य एवं भू–स्वामियों द्वारा प्रतिकर प्राप्त न किये जाने की स्थिति में अर्जित भूमि को अवमुक्त किये जाने का प्राविधान है।

9. अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित ग्रामों मे मलेशेमऊ, मखदूमपुर, हुसडिया, अहमामऊ, अरदौनामऊ, शकूरपुर, मुजफफरनगर घुसवल व हरिहरपुर की 1747–11–19–10 बीघा भूमि का वर्ष 2001 से 2007 के मध्य कब्जा प्राप्त कर अर्जन निकाय द्वारा सम्पूर्ण विकास कार्य किया जा चुका है। अर्जित खसरा संख्याओं का प्रतिकर कास्तकारों को वितरित किया जा चुका है, जिन कास्तकारों द्वारा प्रतिकर प्राप्त नही किया गया है, उनकी धनराशि अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनिमय की धारा–31(2) के अन्तर्गत मा0 जिलाजज के न्यायालय में जमा किया जा चुका है।

10. याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका में भूमि अवमुक्त किये जाने की याचना की गई है, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 20.12.2010 को "Till then, no demolition of building shall take place" का स्थगनादेश पारित किया गया था, जिसके कारण उक्त भूमि पर नियोजित भूखण्डों का विकास कर आवंटियों को कब्जा नही दिया जा सका। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2015 को स्कूल के भवन की कुल 106 वर्गमीटर भूमि पर स्थगनादेश पारित किया गया है। गोमतीनगर विस्तार योजना में कुल 1744–16–13–0 बीघा भूमि पर विकसित की गयी है तथा प्रश्नगत भूमि को सम्मिलित करते हुए योजना का नियोजन एवं विकास किया गया है। प्रश्नगत भूमियॉ नियोजन से पृथक किए जाने से योजना की अवस्थापना सुविधाओं की निरंतरता प्रभावित होगी।

11. खसरा संख्या–242 ग्राम मकदूमपुर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–67/एल0ए0/2010 विचाराधीन है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा केवल 106 वर्गमीटर भूमि पर स्थित स्कूल भवन को न गिराये जाने हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अमर शहीद पथ गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अर्जित सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1744–16–13–0 बीघा का विकास एवं प्रतिकर की धनराशि कास्तकारों/मा0 न्यायालय में वितरित एवं जमा की जा चुकी है तथा योजना के अन्तर्गत लगभग 5000 भूखण्ड व लगभग 8000 फलैट निर्मित किये गये है। प्रश्नगत भूमि सेक्टर–4 में स्थित सेन्ट फ्रान्सिस स्कूल के सम्मुख स्थित है तथा इस विवाद के कारण मुख्य मार्ग से जोडने वाली सम्पर्क मार्ग व अवस्थापना सुविधाओं की निरन्तरता वाधित है। खसरा संख्या–242 के सापेक्ष प्रतिकर की धनराशि अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा दिनांक 30.09.14 को मा0 जनपद न्यायालय, लखनऊ में जमा की जा चुकी है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या–242 के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या–67/एल0ए0/2010 में 106 वर्गमीटर भूमि पर मा0 न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश तथा आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–346/8–3–16–38

उदय नारायण
सर्वेयर-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

(स्निग्धा चतुर्वेदी)
नायब तहसीलदार–अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

(विश्व भूषण मिश्र)
विशेष कार्याधिकारी–अर्जन

एलए/13 दिनांक–06.06.16 के कम में नये भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–24(2) के अन्तर्गत सम्यक निराकरण हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.06.16 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि :–

"बोर्ड के समक्ष यह विवाद का विषय लाया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसका स्वयं समाधान करना चाहिए था। भूमि अधिग्रहण के समय स्थलीय परीक्षण न किये जाने के कारण सम्भवतः यह विवाद उत्पन्न हुआ है। किसानों द्वारा मुआवजा भी नहीं लिया गया है और उकने द्वारा भूमि अर्जन–मुक्त कराये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है एंव मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित भी रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर 32 से अधिक आवंटियों को भूखण्ड आवंटित किये गये है, जिनमें से 11 आवंटियों द्वारा भूखण्ड का निबन्धन भी कराया जा चुका है तथा शेष आवंटियों द्वारा पूरा पैसा भी जमा यिका जा चुका है। ऐसी स्थिति में किसानों के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को समाधान रकना होगा कि जिन भूखण्डों की रजिस्ट्री की जा चुकी है, उनके लिये क्या विकल्प हैं इसलिए यह भूमि अधग्रिहण से छूट का प्रकरण न होकर मूल रूप से विवाद का विषय है और इसका समाधान लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही सम्भव है। इस हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लिया जाय, जो किसानों तथा आवंटियों से वार्ता कर व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तत्पश्चात् समिति की रिपोर्ट अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु पस्तुत की जायेगी एवं प्राधिकरण द्वारा ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। फिर भी यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगता है कि प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है, तो प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।"

12. इसी मध्य आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या–242 रकबा 2–12–14–0 बीघा भूमि के सम्बन्ध में मा0 याचिका समिति के समक्ष याचिका दायर की गयी, जिसमे मा0 याचिका समिति द्वारा आवेदक को सुनकर प्रकरण पर निर्णय लिये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त प्रकरण याचिका समिति में भी विचाराधीन है।

13. प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.06.16 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। मौके पर डी0ए0पी0 स्कूल की बिल्डिंग व समाधी, एक कमरा व टवायलेट बना हुआ है। शेष भूमि रिक्त है और उस पर खेती की जा रही है तथा खसरा संख्या–242 रकबा 2–12–14–0 बीघा स्थित ग्राम मकदूमपुर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–67/एल0ए0/2010 विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका में उल्लिखित खसरा संख्या–242 पर स्थित निर्माण के बदले विस्थापित कोटे के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–1/813 क्षेत्रफल 200 वर्गमी0 श्री रमेश चन्द्र यादव व भूखण्ड संख्या–6/वी–288 दिवेश कुमार को आवंटित किया जा चुका है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय को अवगत भी कराया जा चुका है। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा केवल 106 वर्गमीटर भूमि पर स्थित स्कूल भवन को न गिराये जाने हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया है तथा प्रश्नगत प्रकरण मा0 याचिका समिति के समक्ष विचाराधीन है, जिसमे मा0 याचिका समिति द्वारा आवेदक को सुनकर प्रकरण पर निर्णय लिये जाने के निर्देश

(उदय नारायण)
सर्वेयर-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(स्निग्धा चतुर्वेदी)
नायब तहसीलदार–अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

दिये गये है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम मखदूमपुर की खसरा संख्या–242 रकबा 2–12–14–0 बीघा भूमि का शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 22.10.2002 के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि का समायोजन पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओ पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

1. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 106 वर्गमी0 भूमि जो विद्यालय के भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त 106 वर्गमी0 भूमि को प्रार्थी के पक्ष में समायोजित किया जाये।

अथवा

2. शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में समितियों के लिये दी गयी व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत भूमि पर नियमानुसार विकास शुल्क जमा कराकर समायोजित किया जाये।

14. प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 को विषय संख्या–11 पर खसरा संख्याा–242 ग्राम मखदूमपुर के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जिसमें निम्न निर्णय **(संलग्नक–2)** लिया गया था :–

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं सम्यक विचारोंपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भूमि में से 70 प्रतिशत भाग याची को एवं अवशेष 30 प्रतिशत भूमि पर प्राधिकरण विकास कार्य कराये और याची से इस आशय का शपथपत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि भविष्य में सिकी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जायेगा।"

15. प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में रिट याचिका संख्या–67/एल0ए0/10 मे संलग्नक रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.16 **(संलग्नक–3)** को निम्न आदेश पारित किया गया, जो इस प्रकार है:–

The Lucknow Development Authority has filed a supplementary counter affidavit in view of the directions given earlier. This supplementary counter affidavit discloses a new fact, namely the resolution passed in the 159th Meeting of Board of Lucknow Development Authority dated 24.10.2016. The same is appended as Annexure no S.C.A.-1. Item no. 11 of the said resolution records that in so far the dispute relating to Khasra no. 242, village Makhdoompur, Gomti Nagar Vistar, Lucknow is concerned, it was resolved that 70% of the land involved shall be released to the petitioner, namely Sri Dinesh (Kumar) Yadav who has filed W.P. No. 67 (L/A) of 2010 and which petition is connected along with this writ petition.

We fail to understand that when the interim order in the said writ petition was modified on 10.8.2015 confining the claim only to 106 sq.mts. then how such a decision has been taken to release 70% of the land in favour of the said petitioners when the writ petition pertaining to the challenge raised in the acquisition proceedings is still pending.

Only 30% land is sought to be taken care of by the Lucknow Development Authority which is proposed to be developed within a period of six months.

(सूर्य नारायण)
तहसीलदार-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(स्निग्धा चतुर्वेदी)
नायब तहसीलदार–अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

(रवि भूषण मिश्र)
विशेष कार्याधिकारी-अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

petitioners when the writ petition pertaining to the challenge raised in the acquisition proceedings is still pending.
Only 30% land is sought to be taken care of by the Lucknow Development Authority which is proposed to be developed within a period of six months.
The Lucknow Development Authority shall file an affidavit demonstrating as to under what authority of law has such a decision been taken in relation to an acquired land and a dispute whereof is pending in W.P. No. 67 (L/A) of 2010 where the interim order has already been modified on 10.8.2015. Prima-facie, we find that the resolution which has been made the basis of the supplementary counter affidavit dated 24.10.2016 is not in conformity with the orders passed by this Court, particularly the order dated 10.8.2015 passed in W.P. No. 67 (L/A) of 2010.
Let an affidavit be filed by the Lucknow Development Authority within a week explaining the same.
List in the next cause list.
***Order Date :-** 13.12.2016/Om.*

16. मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 13.12.16 के आलोक में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.16 में याची की सम्पूर्ण भूमि में से 70 प्रतिशत भूमि दिये जाने का निर्णय औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। इन परिस्थितियों में पूर्व बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.16 को विषय संख्या–11 पर पारित निर्णय निरस्त किया जाना उचित होगा।

17. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 22.10.2002 को जो शासनादेश निर्गत किया गया है, वह समितियों के भूमियो के समायोजन के लिये किया गया है, जो इस प्रकरण में प्रभावी नही है।

18. प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.16 में पारित निर्णय, जो कि शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण रिट याचिका संख्या–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.16 के आलोक में निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव</u>

अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत स्थित ग्राम मकदूमपुर की अर्जित भूमि खसरा संख्या–242 रकबा 2–12–14–0 बीघा के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 में पारित निर्णय, जो कि शासनादेश दिनांक 22.10.2002 में उल्लिखित प्राविधानों के विपरीत होने के कारण रिट याचिका संख्या–67/एल0ए0/10 दिनेश कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ कनेक्ट रिट याचिका संख्या–4297/एम0बी0/16 उमेश्वर पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के आलोक में निरस्त किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

उदय नारायण
सर्वेयर-अर्जन
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(स्निग्धा चतुर्वेदी)
नायब तहसीलदार–अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ।

(विनोद कुमार मिश्र)
प्रभारी अधिकारी - अर्जन
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

Court No. - 4

Case :- LAND ACQUISITION No. - 67 of 2010

Petitioner :- Dinesh Kumar & Others
Respondent :- State Of U.P.,Thru. Prin. Secy., Revenue, & Others
Counsel for Petitioner :- Vivek Raj Singh,A.K. Bajpai,Manish Jauhari,Mohit Jauhari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Mukund Tewari,Namit Sharma

Hon'ble Satyendra Singh Chauhan,J.
Hon'ble Anant Kumar,J.

Supplementary rejoinder affidavit filed on behalf of opposite party no.5 is taken on record.

Heard learned counsel for the petitioners, learned Standing Counsel and learned counsel for the Lucknow Development Authority.

The submission of learned counsel for the Lucknow Development Authority is that, as alleged by the petitioners, some school has been constructed in an area of 106 Sq.Mtr. The acquisition has been challenged only on the amended provisions of the Land Acquisition Act.

Learned counsel for the respondents has submitted that the compensation has been deposited in the Court of District Judge.

The question as to whether the petitioners would be entitled for the benefit of Section 24 (2) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 or not, will be considered after the counter affidavit is filed by the State to the amended portion of the writ petition. But so far as the interest of the petitioners is concerned, it will be secured in case the interim order is restricted only to the extent of 106 Sq.Mtrs.

Learned counsel for the petitioners has placed reliance upon a decision of the Apex Court in the case of ***Pune Municipal Corporation and another Vs. Harakchand Misirimal Solanki and others***, reported in ***(2014) 3 SCC 183***, wherein it has been held that the amount should be deposited in the Court. Learned counsel for the petitioners submits that the amount has not been deposited in Court, which has been refuted by the learned counsel for the respondents, saying that the compensation has been deposited in the Court of District Judge.

The Apex Court in the case of ***Pune Municipal Corporation*** (supra), in paragraph 20 held as under:-

"20. From the above, it is clear that the award pertaining to the subject land has been made by the Special Land Acquisition Officer more than five years prior to the commencement of the 2013 Act. It is also admitted position that compensation so awarded has neither been paid to the landowners/persons interested nor deposited in the court. The deposit of compensation amount in the Government treasury is of no avail and cannot be held to be equivalent to

compensation paid to the landowners/persons interested. We have, therefore, no hesitation in holding that the subject land acquisition proceedings shall be deemed to have lapsed under Section 24 (2) of the 2013 Act."

The aforesaid finding recorded by the Apex Court goes to indicate that the opposite parties have substantially fulfilled the requirement of the provisions of the Land Acquisition Act, therefore, taking into consideration the interest of the petitioners at the moment, we modify the interim order to the extent of an area of 106 Sq.Mtrs., on which a school has been constructed shall not be disturbed.

Learned counsel for the petitioners has cited another judgment rendered by a Division Bench of this Court in the case of ***Bhusai Vs. State of U.P. and others [Writ Petition (Land Acquisition) No.42 of 2014]***, decided on 05.09.2014. However, the learned Additional Chief Standing Counsel has informed that against the aforementioned judgment of the Division Bench, a review petition is pending consideration.

Connect and list this writ petition with Writ Petition No.1534 (MB) of 2012. The interim order, granted by this Court in favour of the petitioners is modified to the extent mentioned herein above.

Order Date :- 10.8.2015
sks

संलग्नक-02

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 159वीं बैठक दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः—

01.	श्री सदाकान्त	अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
02.	डा0 अनूप यादव	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	श्री शिव जनम चौधरी	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन।
05.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
06.	श्री आशुतोष कुमार राय	अपर जिलाधिकारी (भू0 / अ0), प्रतिनिधि— जिलाधिकारी, लखनऊ।
07.	श्री सी0डी0एस0 यादव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—मुख्य अभियन्त जल निगम, लखनऊ।
08.	श्री टी0एच0 रिज़वी	अपर सांख्यिकीय अधिकारी, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
09.	श्री सुभाष चन्द्र	अनुसचिव, प्रतिनिधि—विशेष सचिव, वित्त
10.	श्री संजीव कश्यप	वास्तुविद् नियोजक, प्रतिनिधि—आवास आयुव उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
11.	श्री इसहाक गुड्डू	सदस्य, ल0वि0प्रा0
12.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0
13.	श्री रमेश कुमार 'बाबा'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
14.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी'	मा0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थितिः—

16.	श्री अरूण कुमार	सचिव, ल0वि0प्रा0।
17.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0
18.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
20.	श्री हरी कृष्ण यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0

–5000 वर्ग फीट (0.0464 हे0) भूमि को अर्जनमुक्त अथवा भूमि दिये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों नें हीरालाल पुत्र नोखे ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जो अनुसूचित जाति के है। अनुसूचित जाति की भूमि उच्च वर्ग द्वारा क्रय किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। विधिक रूप से आवेदक/याची का उक्त भूमि पर कोई दावा/अधिकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जिन व्यक्तियों ने भूमि अर्जन से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिया है और उनका विधिक स्वामित्व भूमि पर स्थापित नहीं होता तथा उनका LOCUS STANDI भी नहीं है, अतः ऐसे प्रकरणों में आगे कोई कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सम्भव नहीं है। तदनुसार समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए याची को सूचित कर दिया जाय।

<u>विषय संख्या : 10</u>

अमर शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के बदले विस्थापित कोटे का लाभ दिये जाने की मांग के क्रम में प्रस्तुत आवेदनों पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा की गई। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4 के प्रकाशन से पूर्व जिनके निर्माण पाये गये थे, उन्हें विस्थापित कोटे का लाभ दिया जा चुका है, जबकि प्रस्ताव में उल्लिखित आवेदकों का अभियंत्रण खण्ड की आख्यानुसार मौके पर कोई निर्माण नहीं पाया गया, अतः आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के क्रम में विस्थापित कोटे का लाभ नहीं दिया जा सकता। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त की सूचना आवेदकों को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

<u>विषय संख्या : 11</u>

खसरा संख्या–242, ग्राम–मकखदूमपुर के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सम्पूर्ण भूमि में से 70 प्रतिशत भाग याची को एवं अवशेष 30 प्रतिशत भूमि पर प्राधिकरण विकास कार्य कराये और याची से इस आशय का शपथ–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

<u>विषय संख्या : 12</u>

सी0जी0 सिटी में लखनऊ मेट्रो को प्रस्तावित 152.80 एकड़ भूमि में से 147.93 एकड़ भूमि लखनऊ मेट्रो को तथा 4.87 एकड़ भूमि डा0 अम्बेडकर महासभा को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त सी0जी0 सिटी में लखनऊ मेट्रो को प्रस्तावित 152.80 एकड़ भूमि में से 147 एकड़ भूमि (25.69 एकड़

विषय संख्या : 27 पूर्व स्वीकृत कास्टिंग गाइड लाइन के स्थान पर नवीन कास्टिंग गाइड लाइन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार)
सचिव

(डा0 अनूप यादव)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

2.11.16
(सदाकान्त)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

संलग्नक - 03

Court No. - 1
Case :- MISC. BENCH No. - 4297 of 2016
Petitioner :- Umeshwar Pandey
Respondent :- State Of U.P Thru. Prin.Secy.Deptt.Of Urban Devp.Lko.& 2 Ors
Counsel for Petitioner :- Srideep Chatterjee
Counsel for Respondent :- C.S.C,Gaurav Mehrotra,Shobhit Mohan Shukla

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Hon'ble Sanjay Harkauli,J.

Heard learned counsel for the petitioner.

The Lucknow Development Authority has filed a supplementary counter affidavit in view of the directions given earlier. This supplementary counter affidavit discloses a new fact, namely the resolution passed in the 159th Meeting of Board of Lucknow Development Authority dated 24.10.2016. The same is appended as Annexure no S.C.A.-1. Item no. 11 of the said resolution records that in so far the dispute relating to Khasra no. 242, village Makhdoompur, Gomti Nagar Vistar, Lucknow is concerned, it was resolved that 70% of the land involved shall be released to the petitioner, namely Sri Dinesh (Kumar) Yadav who has filed W.P. No. 67 (L/A) of 2010 and which petition is connected along with this writ petition.

We fail to understand that when the interim order in the said writ petition was modified on 10.8.2015 confining the claim only to 106 sq.mts. then how such a decision has been taken to release 70% of the land in favour of the said petitioners when the writ petition pertaining to the challenge raised in the acquisition proceedings is still pending.

Only 30% land is sought to be taken care of by the Lucknow Development Authority which is proposed to be developed within a period of six months.

The Lucknow Development Authority shall file an affidavit demonstrating as to under what authority of law has such a decision been taken in relation to an acquired land and a dispute whereof is pending in W.P. No. 67 (L/A) of 2010 where the interim order has already been modified on 10.8.2015. Prima-facie, we find that the resolution which has been made the basis of the supplementary counter affidavit dated 24.10.2016 is not in conformity with the orders passed by this Court, particularly the order dated 10.8.2015 passed in W.P. No. 67 (L/A) of 2010.

Let an affidavit be filed by the Lucknow Development Authority within a week explaining the same.

List in the next cause list.

Order Date :- 13.12.2016/Om.

(Sanjay Harkauli, J.) (Amreshwar Pratap Sahi, J.)

विषय संख्या-08

विषय : सहायक महाप्रबन्धक परिसर एवं सम्पदा स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा सेक्टर–आई, जानकीपुरम में 13320.50 वर्गमी0 समूह आवास निर्माण सम्बन्धित मानचित्र के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा विकसित सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–आई जानकीपुरम में 7751.54 वर्गमी0 भूमि पर तीन मंजिल के रो–हाउसिंग 222 फ्लैट निर्मित करके सहायक महाप्रबन्धक, परिसर एवं सम्पदा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को आवंटित किये गये थे। उक्त तीन मंजिल भवनों को ध्वस्त करते हुये उसके स्थान पर ग्यारह मंजिलें एवं तेरह मंजिलें कुल 88 भवन (ग्रुप हाउसिंग), तीन मंजिला गेस्ट हाउस एवं दो मंजिला स्टेषनरी डिपो एवं क्लब हाउस के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया है। भवन के बेसमेण्ट एवं भूतल पर पार्किंग दर्शित की गई है। प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना लो राईज के स्थान पर तेरह मंजिलें ग्रुप हाउसिंग प्रस्तावना के दृष्टिगत तकनीकी समिति द्वारा जन साधारण से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदनोंपरान्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत करने की संस्तुति की गई थी, जिसके अनुक्रम में समाचार पत्रों के माध्यम से आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, जिसमें जन साधारण द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित यूनिट के सापेक्ष 10 प्रतिशत दुर्बल आय वर्ग एवं 10 प्रतिषत अल्प आय वर्ग की यूनिट की प्रस्तावना वर्तमान प्राविधानों के अनुसार की जानी चाहिए, अन्यथा की दशा में शेल्टर फीस लिये जाने का प्राविधान है।

अतः सहायक, महाप्रबन्धक, परिसर एवं सम्पदा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा सेक्टर–आई, जानकीपुरम में 13320.50 वर्गमी0 समूह आवास निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किये जाने एवं शेल्टर फीस लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

20.09.2017 J.E. 20-09-2017 J.E 20.9.2017 JE 20.9.17

अनुलग्नक 8 / 65

प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण सम्बन्धी भवन मानचित्र का संक्षिप्त विवरण

1	भूस्वामी / आवेदक का नाम व पता	:	श्री अजय कपूर ए.जी.एम. एस.बी.आई.
2	स्थल	:	सेक्टर–आई, जानकीपुरम लखनऊ।
3	सड़क	:	योजना 24.00मी0 चौडी सडक पर स्थित है।
4	भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	:	13320.50 वर्गमी0

5 भू–उपयोग

महायोजना 2031 के अनुसार	प्रस्तावित उपयोग
आवासीय	आवासीय (समूह आवास)

6

क्रम सं0	मानक	भवन उपविधि / तलपट मानचित्र के अनुसार	प्रस्तावित
क	सेटबैक चारो तरफ	13मी0	तीन तरफ 13मी0, 9मी0 एंव 6मी0
ख	भवन की ऊचाई मी0 में	(Road wideing+setback) x 1.50 (24+13)x1.5 = 55.50 मी0	टावर–ए – 36.45मी0 टावर–बी – 42.45मी0 गेस्ट हाउस – 9.45मी0 स्टेशनरी डिपो – 7.80मी0 क्लब हाउस – 6.30मी0
ग	एफ.ए.आर. 1 अनुमन्य (सामान्यतः) 2 कम्नपसेण्टीरी 3 क्रय योग्य	 1.50 (19980.75 वर्गमी0) — —	 1.216 (16191.21 वर्गमी0) — —
घ	भू–आच्छादन प्रतिशत में तथा क्षेत्रफल में	30% (3996.15 वर्गमी0)	17.45% (2324.70 वर्गमी0)
ड़	पार्क / खुला स्थल	15% (1998.08 वर्गमी0)	16.25% (2258.00 वर्गमी0)
च	पार्किंग	Tower-A (unit area 144.50sqm) =20flat x 1.25 = 25 car Tower – A (unit area 138.50sqm) = 20 flat x 1.25 = 25 car Tawer – C (unit area 165.00 sqm) = 48 flat x 1.50 = 72 car Guest House (200/100) x 2 = 04 car Club House (1200/100) x 2 = 24 car Total = 150 car	Ground Floor open surface (483/23) = 21 No's car Basement = 167 No's car Total = 188 No's car
छ	आवासीय इकाईयों की संख्या	150Unit/Hectare 200 x 13320.50 = 199.80 10000 = 200 unit	(40 + 48) = 88 no. flats
ज	ई.डब्लु.एस. / एल.आई.जी.	10% of total unit (9 + 9) = 18	Sheiter Fees Charged Rs.

7. <u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

1. अग्नि शमन विभाग — अनापत्ति वांछित है।
2. खनिज विभाग — अनापत्ति वांछित है।

8.नोटः–

1. प्राधिकरण द्वारा G+2 के 222 भवन (कुल विक्रीत क्षेत्रफल 7751.54वर्गमी0) को ध्वस्त करते हुए उसके स्थान पर G+12 एंव G+10 के कुल 88 भवन, G+2 गेस्ट हाउस, G+1 स्टेशनरी डिपो एंव G+1 क्लब हाउस कुल आच्छादित (क्षेत्रफल 24548.82वर्गमी0) का प्रस्ताव दिया गया है। जो कि विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. प्राधिकारण द्वारा आवंटित भूमि पर पार्क हेतु 5568.96वर्गमी0 क्षेत्रफल के स्थान पर वर्तमान में 2258.00वर्गमी0 स्थान प्रस्तावित किया गया हैं पार्क के क्षेत्रफल में कमी विचारणीय विषय है।
3. प्रस्तावित यूनिटो के सापेक्ष 10प्रतिशत एल.आई.जी. एंव ई.डब्लु.एस. की प्रस्तावना नहीं दी गई है। सेल्टर शुल्क लिये जाने का बिन्दु विचारणीय है।

67

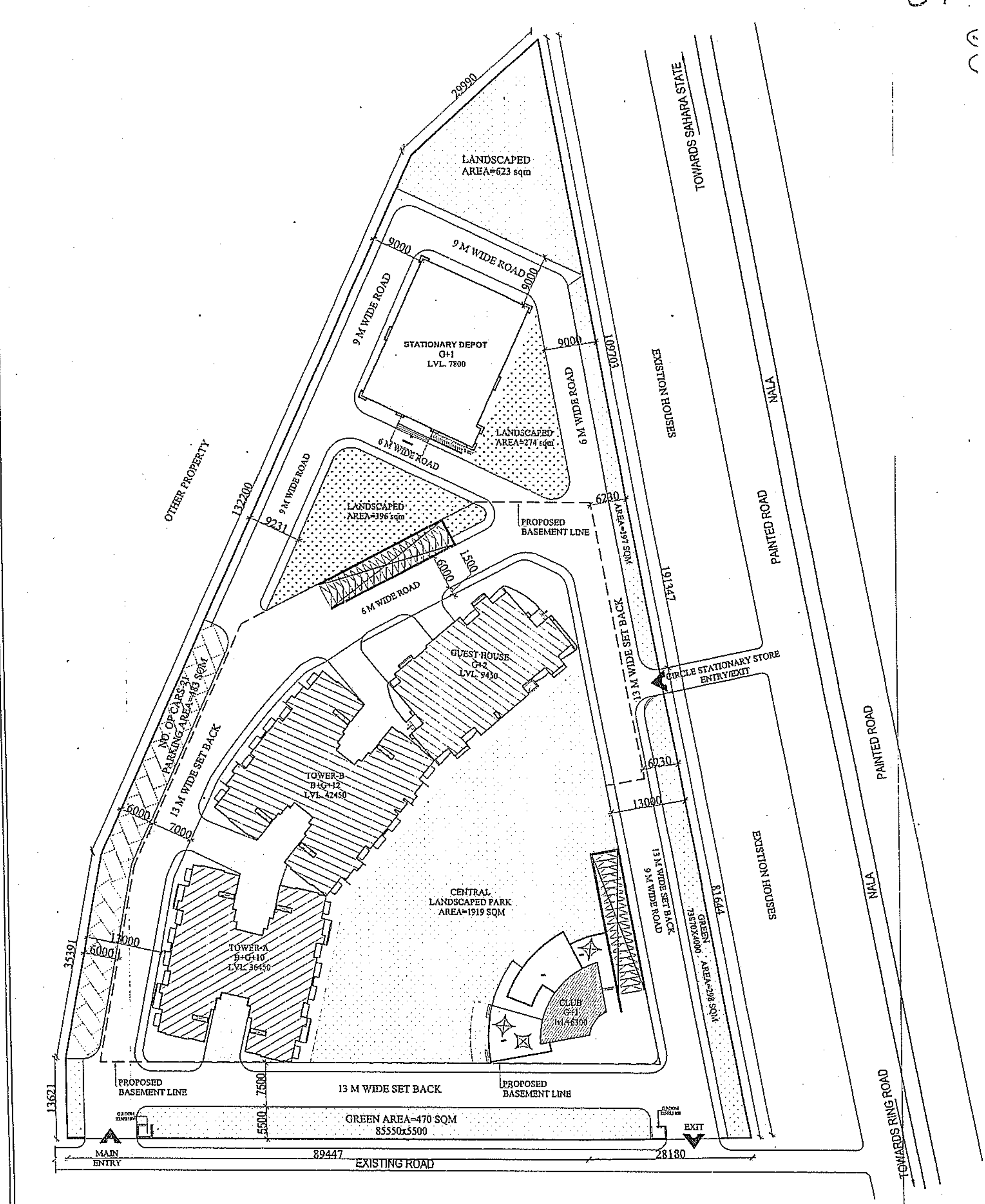

PROPOSED SITE PLAN

SCALE-1:500

SUBMISSION DRAWING

Notes	Revision	Project	Building Type	Drawing Title	Date	Construction Agency	Architects
		CONSTRUCTION OF OFFICER'S FLAT, GUEST HOUSE AND CIRCLE STATIONARY DEPARTMENT AFTER DEMOLITION OF EXISTING 222 FLATS OF AWARD STAFF AT SECTOR-I, JANKIPURAM SCHEME, LUCKNOW.	SITE PLAN	PROPOSED SITE PLAN	12-04-2016	STATE BANK OF INDIA	STHAPAT ASSOCIATES (P) LTD.
			North:	Drawing No.: LKO/SBI/SUB/01	Scale: 1:500		

68

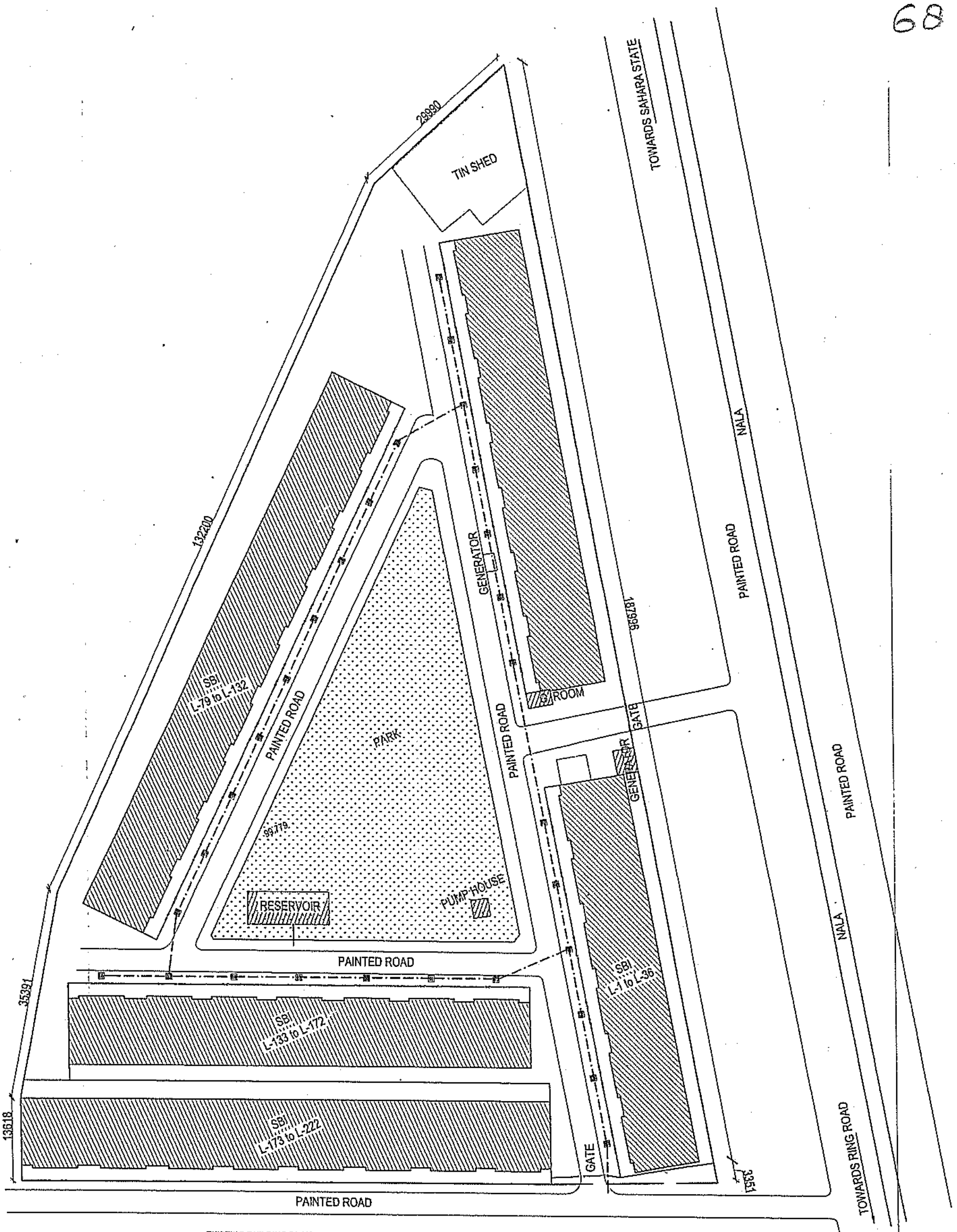

EXISTING BUILDING PLAN
(TO BE DEMOLISH)
SCALE-1:600

SUBMISSION DRAWING

Notes:	Revision:	Project:	Building Type	Drawing Title:	Date:	Construction Agency:	Architects:
		CONSTRUCTION OF OFFICER'S FLAT, GUEST HOUSE AND CIRCLE STATIONARY DEPARTMENT AFTER DEMOLITION OF EXISTING 222 FLATS OF AWARD STAFF AT SECTOR-1, JANKIPURAM SCHEME, LUCKNOW.	SITE PLAN	EXISTING SITE PLAN	12-04-2016	STATE BANK OF INDIA	STHAPATI ASSOCIATES (P) LTD. architects,interior designers, landscape consultants, & project consultants. 1/24 vipul khand gomti nagar, lucknow.
			North:	Drawing No.: LKO/SBI/SUB/02	Scale:- 1:600		

विषय संख्याः 09 पृष्ठ संख्याः 69

विषयः विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय –योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

आख्याः

उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या–3589/ 8–3–2011–11विविध/08, दिनांक 04.08.2011 के क्रम में विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर–3.5.1 टिप्पणी (VII) के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों, में निजी स्वामित्व की भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः–

नए/अविकसित क्षेत्र में जहाँ भू–स्वामी की निजी भूमि है, वहाँ ग्रुप हाउसिंग के लिए 1.5 से अधिक परन्तु 2.5 एफ.ए.आर. तक के लिए कय–यारेय एफ.ए.आर. शुल्क देय होगा, जिस हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता 2.5 एफ.ए.आर. से विभाजित कर आगणित की जाएगी तथा 2.5 एफ.ए.आर. के ऊपर नियमानुसार 50 प्रतिशत क्रय–योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा, जिसके लिए अनुपातिक भूमि की आवश्यकता 2.5 एफ.ए. आर. से विभाजित कर आगणित की जाएगी।

उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में नए/अविकसित क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के लिए बेसिक एफ0ए0आर0 2.5 तथा निजी स्वामित्व की भूमि के लिए बेसिक एफ0ए0आर0 1.5 अनुमन्य किया गया है अर्थात एक ही प्रकृति के क्षेत्र (नए/अविकसित क्षेत्र) में भूमि के स्वामित्व के आधार पर एफ0ए0आर0 के मानकों में भेदभाव है, जो न्यायसंगत (इक्वीटेबल) नहीं है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका सं0–60774 ऑफ 2015 द्वारा नए/अविकसित क्षेत्रों में 2.5 एफ0ए0आर0 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में दिनांक 15.11.2016 को पारित आदेश द्वारा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के वर्तमान अध्याय–3

के प्रस्तर–3.5.1 टिप्पणी (VII) को विलोपित किया गया है। भवन उपविधि में किये गये उक्त संशोधन को अंगीकृत कराने हेतु शासन के पत्र सं0–1311 / 8–3–16–297विविध / 2016, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से अंगीकरण कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

उपर्युक्त के दृष्टिगत 'नए / अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय–योग्य एफ0ए0आर0 के मानकों में संशोधन भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011 / 2016) में प्रस्तावित संशोधन के अंगीकरण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक 71

संख्या— 1311 /8—3—16—297 विविध/2016

प्रेषक,

सदा कान्त,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3, लखनऊ दिनांक: 27 दिसम्बर, 2016

विषय— विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य बेसिक एवं क्रय—योग्य एफ.ए.आर. के मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या—3589/8—3—2011—11 विविध/08, दिनांक 04.8.2011 के क्रम में विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर—3.5.1 टिप्पणी (VII) के अन्तर्गत 'नए/अविकसित क्षेत्रों' में निजी स्वामित्व की भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के लिए अनुमन्य एफ.ए.आर. के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:—

"नए/अविकसित क्षेत्र में जहां भू—स्वामी की निजी भूमि है, वहां ग्रुप हाउसिंग के लिए 1.5 से अधिक परन्तु 2.5 एफ.ए.आर. तक के लिए क्रय—योग्य एफ.ए.आर. शुल्क देय होगा, जिस हेतु अनुपातिक भूमि की आवश्यकता 2.5 एफ.ए.आर. से विभाजित कर आगणित की जाएगी तथा 2.5 एफ.ए.आर. के ऊपर नियमानुसार 50 प्रतिशत क्रय—योग्य एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा, जिसके लिए अनुपातिक भूमि की आवश्यकता 2.5 एफ.ए.आर. से विभाजित कर आगणित की जाएगी।"

2. इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अधिसूचना दिनांक 04.8.2011 के क्रम में नए/अविकसित क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा आवन्टित भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के लिए बेसिक एफ.ए.आर. 2.5 तथा निजी स्वामित्व की भूमि के लिए बेसिक एफ.ए.आर. 1.5 अनुमन्य किया गया है अर्थात् एक ही प्रकृति के क्षेत्र (नए/अविकसित क्षेत्र) में भूमि के स्वामित्व के आधार पर एफ.ए.आर. के मानकों में भेदभाव है, जो न्यायसंगत (इक्वीटेबल) नहीं है। इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या—60774 ऑफ 2015 लवलेश कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नए/अविकसित क्षेत्रों में 2.5 एफ.ए.आर. की अनुमन्यता के सम्बन्ध में दिनांक 15.11.2016 को निम्न आदेश पारित किया गया है:—

"In the present matter we find that entire demand has been raised towards purchasable FAR on the basis of Government Order dated 4.8.2011 and the same has been charged as per sub-clause (3) of the notification dated 25.09.2008. In the counter affidavit specific stand has been taken by the VDA that towards the charge relating to FAR the same has been levied in pursuance of the Government Order dated 4.8.2011 appended as Annexure CA-2 to the counter affidavit. The said Government Order had been relied upon sub-clause (3) of Notification dated 25.09.2008 by which purchasable

FAR had been sanctioned but at the same time it has also been averred that the charges so made at the rate of purchasable FAR, find place in Clause 3 (3) of the said notification. Once the plan in question is to be sanctioned in new/ undeveloped area, where as per building bye-laws and Rules of 2014 the permissible FAR is 2.5, then we are of the considered opinion that reliance on the Government Order dated 4.8.2011 is impermissible, until the statutory rules are framed. We also find that no doubt the purchasable FAR and purchasable dwelling units are also defined in the Development Fee Rules of 2014 but no rate of purchasable dwelling unit and purchasable FAR are provided. The petitioners have also come with categorical stand that they have never moved any application for excess construction of permissible dwelling units and FAR. As such we are of the considered opinion that the impugned demand qua the FAR cannot sustain and are accordingly set aside. The VDA is not entitled to demand towards FAR. But in case the petitioners exceed permissible limit of 2.5, then definitely as per the building bye-laws the same would be payable. So far as other demands are concerned, the same may be calculated as per the demand appended along with supplementary counter affidavit and quoted above. Accordingly fresh demand may be recalculated within six weeks.

The writ petition is allowed accordingly."

3. उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नए/अविकसित क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवंटित भूमि व निजी स्वामित्व की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के लिए एफ.ए.आर. के मानक एक समान रखे जाएं। तत्क्रम में नए/अविकसित क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आवंटित भूमि तथा निजी स्वामित्व की भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के लिए समान रूप से 2.5 एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा, जिसके दृष्टिगत विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के वर्तमान प्रस्तर–3.5.1 टिप्पणी (VII) को विलोपित किया जाता है।

4. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अध्याय–3 के प्रस्तर–3.5.1 में उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संशोधन को प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अंगीकृत कर लागू करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सदा कान्त
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. नियन्त्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से कि इस शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अप–लोड कराना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(शिवजनम चौधरी) 27/12
विशेष सचिव

विषय संख्या: 10 पृष्ठ संख्या: 73

विषयः अमृत योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के क्रियान्वयन हेतु प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन से सम्बन्धित शासनादेश के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

आख्याः

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–57 के अधीन अमृत योजना के अन्तर्गत नगरीय सुधारों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business के अन्तर्गत भारत सरकार के Business Reform Action Plan 2017 की अपेक्षाओं एवं उक्त कार्यान्वयन हेतु कतिपय संशोधन के लिए प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) के अध्याय–3 के प्रस्तर सं0–3.1.2.3 (XVi), (XVii), प्रस्तर सं0–3.11.10, प्रस्तर सं0–3.1.6, प्रस्तर सं0–3.1.3.3, 3.1.6.(क) में संशोधन तथा Environmental conditions for Buildings and Construction से सम्बन्धित नये परिशिष्ट–15, 16, 17, 18 एवं 19 आदि को सम्मिलित कराने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा शासनादेश सं0–1241/8–3–17–34विविध/2008 के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। (अनुलग्नक–1 पर संलग्न)

उपरोक्त शासनादेश द्वारा भवन उपविधि में किये गये संशोधनों को प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत कराकर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :

भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business से सम्बन्धित शासनादेश को यथावत अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में सम्मलित समझे जाने के अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक-1 74

संख्या : 1241/8–3–17–34 विविध/2008

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

विषय : AMRUT योजना एवं Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कियान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि AMRUT योजना के अन्तर्गत नगरीय सुधारों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business के अन्तर्गत भारत सरकार के Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वियन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) कतिपय संशोधन अपेक्षित है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–57 के अधीन AMRUT योजना के अन्तर्गत नगरीय सुधारों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलाज–2016 तथा Ease of Doing Business के अन्तर्गत भारत सरकार के Business Reform Action Plan 2017 की अपेक्षाओं एवं उक्त के कार्यान्वयन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में संलग्नक के अनुसार सम्यक् विचारोपरान्त संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए अंगीकार कर उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव

संख्या 1241 (1)/8–3–17–34 विविध/2008–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
3. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner

शासनादेश संख्या: 1241/8–3–17–34 विविध/2008, दिनॉक: 31 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

1. अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज–2016 (Water re-use and recycling) के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर 3.1.2.3 (xvi) बढा दिया जायेगा :–

प्रस्तर–3.1.2.3 (xvi)

"समस्त उपयोगों के भूखण्ड जिनमें न्यूनतम 10 हजार लीटर प्रतिदिन का वाटर डिस्चार्ज हो, में 'वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम'/'रिसाईक्लिड वाटर' का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।"

2. अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज–2016 (Sustainable Waste Management) के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर 3.1.2.3 (xvii) बढा दिया जायेगा :–

प्रस्तर–3.1.2.3 (xvii)

"500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों (ग्रुप हाउसिंग सहित) तथा समस्त गैर–आवासीय भवनों में कूड़ा प्रबन्धन हेतु भूखण्ड के प्रवेश द्वार के समीप भूतल पर दो प्रकार के (Biodegradable and non-biodegradable) डस्टबिन की व्यवस्था की जायेगी ताकि स्थानीय निकाय द्वारा प्रतिदिन डस्टबिन से कूड़ा एकत्र कर वार्ड अथवा सेक्टर लेवल पर ही प्रोसेस करके फ्यूल केक, खाद, पेपर इत्यादि तैयार किया जाना आसान हो।"

3. अमृत योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज–2016 (Climate Resilient Construction-Integration of Environmental Clearance with Sanction) के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर 3.11.10 बढा दिया जायेगा :–

नया प्रस्तर–3.11.10

"5000 वर्गमीटर से 150000 वर्गमीटर बिल्ट–अप क्षेत्रफल वाले भवनों में पर्यावरणीय सुरक्षा के दृष्टिगत परिशिष्ट–15 से परिशिष्ट–17 तक में वर्णित पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।"

4. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Stipulate that Building plan approval is provided within 30 days के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में नीचे कालम–1 के स्थान पर कालम–2 का प्राविधान प्रतिस्थापित किया जाता है –

1	2
प्रस्तर–3.1.3.3 अन्य भवन	**प्रस्तर–3.1.3.3**
(I) व्यवसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य (औद्योगिक को छोड़कर) के मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे परन्तु 90 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गई, तो भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, बशर्ते वह महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार हो। स्वतः स्वीकृति के मामलों में सम्बन्धित निर्माणकर्ता स्वयं	(I) व्यवसायिक, कार्यालय, ग्रुप हाउसिंग तथा अन्य के मानचित्र निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे परन्तु 30 दिनों की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर यदि आवेदक द्वारा स्वयं समय बढ़ाने की सहमति न दी गई, तो भवन मानचित्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, बशर्ते मानचित्र पर अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित हो कि मानचित्र महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है।

Scanned by CamScanner

उत्तरदायी होंगे।	
(III) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भी 90 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिए जाएंगे कि निर्माणकर्ता विकास प्राधिकरण व ऐसे विभाग, जिनकी अनापत्ति /आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त कराकर अपने रिस्क पर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ करा सकता है, परन्तु उसे अनापत्ति हेतु अवशेष विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें और उसमें लगाई गई शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य करें।	(III) निर्धारित अवधि में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने पर भी 30 दिन के अन्दर इस शर्त के साथ स्वीकृत कर दिए जाएंगे कि निर्माणकर्ता, विकास प्राधिकरण व ऐसे विभाग, जिनकी अनापत्ति/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, को लिखित नोटिस प्राप्त कराकर 10 दिन बाद निर्माण प्रारम्भ करा सकता है, परन्तु उसे अनापत्ति हेतु अवशेष विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। यह निर्माणकर्ता का दायित्व होगा कि वे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करें उसमें लगाई गई शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य करें।

5. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Stipulate that Plinth inspection is done within 7 days of intimation के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में निम्नवत् प्रस्तर– 3.1.6 (क) बढ़ा दिया जायेगा :–

नया प्रस्तर–3.1.6 (क) निर्माण कार्य का निरीक्षण/जॉच
भवन निर्माण के समय स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मौके पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत समस्त आवासीय भूखण्डों को छोड़कर शेष समस्त श्रेणी के भवनों का प्लिन्थ लेवल तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन स्वामी/निर्माणकर्ता स्थल के जी.पी.एस. को आर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ्स शासकीय अभिकरण को अपलोड कर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ इस आशय का एफीडेविट (परिशिष्ट–18) भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार ही निर्माण किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर–3.1.1 के अन्तर्गत वर्णित अनुज्ञा से आच्छादित कार्य तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–52 के अन्तर्गत अनुमन्य निर्माण से इतर निर्माण कराया गया है तो शासकीय अभिकरण द्वारा सील कर दिये जाने मे उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा। फोटोग्राफ्स प्राप्त होने पर प्रभारी अभियन्ता द्वारा 48 कार्यालय घन्टे में स्थल निरीक्षणोपरान्त भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण से विचलन/त्रुटि/गलत पाये जाने पर तत्काल उसे नोटिस दी जाएगी (परिशिष्ट–19)। इसके साथ ही प्रभारी अभियन्ता द्वारा अपनी आख्या उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। उक्त आख्या के सापेक्ष स्थल पर विचलन/त्रुटि का निर्धारण उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा तथा विचलन पाये जाने पर निर्माण कार्य को सीलबन्द कर दिया जाएगा। यह कार्यवाही अधिकतम 07 कार्य दिवस में सुनिश्चित की जाएगी।

6. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Stipulate that Final completion occupancy certificate is provided within 8 days

Scanned by CamScanner

के दृष्टिगत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में नीचे कालम–1 के स्थान पर कालम–2 का प्राविधान प्रतिस्थापित किया जाता है –

1	2
अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–3	अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–3
पूर्णता की नोटिस प्राप्त होने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय–समय पर निर्धारित प्रकियानुसार "रेन्डम बेसिस" पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा। किन्तु व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों की जॉच/परीक्षण किया जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा प्रतिशत निर्धारण एवं "रेन्डम सलेक्शन" की प्रकिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जॉच नही की जाएगी।	पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 07 कार्य–दिवस में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के भवनों हेतु समय–समय पर निर्धारित प्रकियानुसार "रेन्डम बेसिस" पर चयनित नोटिसों का परीक्षण किया जाएगा, किन्तु व्यवसायिक, बहुखण्डी एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त भवनों के नोटिसों की जॉच/परीक्षण किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रतिशत निर्धारण एवं "रेन्डम सलेक्शन" की प्रकिया का निर्धारण होने तक व्यवसायिक एवं ग्रुप हाउसिंग के अतिरिक्त अन्य भवनों का परीक्षण/जॉच नही की जाएगी।
अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–4	अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–4
अनुज्ञापित व्यक्ति/आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जॉच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।	अनुज्ञापित व्यक्ति/ आर्किटेक्ट की रिपोर्ट अथवा जॉच के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पाए जाने पर उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर 01 कार्य–दिवस में पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।
अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–5	अनुलग्नक–2 का प्रस्तर–5
जॉच/परीक्षण में स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र विकास कार्यों के अनुरूप विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वीकृति को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उसके कारणों सहित आवेदक को आवेदन करने के 60 दिनों के अन्दर सूचित कर दिया जायेगा, उक्त अवधि में प्राधिकरण द्वारा निस्तारण न किए जाने की दशा में आवेदक द्वारा प्राधिकरण को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिन का एक नोटिस दिया जायेगा। इस अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र निस्तारित न किए जाने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड एप्रूव्ड) माना जायेगा।	पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम सात कार्य–दिवस में जॉच/परीक्षण कर स्वीकृत अथवा शमनित मानचित्र के अनुरूप मौके पर विकास/निर्माण न पाए जाने की स्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन को अस्वीकार करते हुए अपेक्षित संशोधनों सहित आवेदक को आवेदन करने के 08 कार्य–दिवस में सूचित कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड एप्रूव्ड) माना जायेगा।

7. Ease of Doing Business के अन्तर्गत Business Reform Action Plan 2017 के कार्यान्वयन हेतु Online building map sanction के लिए तैयार साफ्टवेयर के संचालन हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित 2011 एवं 2016) में नीचे कालम–1 के स्थान पर कालम–2 का प्राविधान प्रतिस्थापित किया जाता है –

Scanned by CamScanner

1	2
प्रस्तर–3.1.3.1	**प्रस्तर–3.1.3.1**
(i) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं /ले–आउट प्लान के अन्तर्गत 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक के आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्वार के लिये मानचित्र दाखिल किये जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएँगें, यदि मानचित्र अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो तथा उस पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया गया हो कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपविधियों के अनुसार है। किन्तु विभिन्न मदों में वांछित शुल्क यथा–मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, आदि नियमानुसार जमा करना आवश्यक होगा।	(i) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ ले–आउट प्लान में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत समस्त आवासीय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्वार के लिये मानचित्र दाखिल किये जाने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएँगें एवं स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख 02 कार्य दिवस में उपलब्ध करा दिये जायेंगे। उक्त भवन मानचित्र प्राधिकरण प्रदत्त एवं अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध (डाउनलोडेबल) स्टैण्डर्ड डिजाइन के अनुरूप होने पर अथवा अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा तैयार किये जाने तथा उस पर यह प्रमाण पत्र अंकित किये जाने कि प्रस्तावित निर्माण/पुनर्निर्माण महायोजना एवं भवन उपविधियों के अनुसार है, मान्य होंगे। इस हेतु विभिन्न मदों में वांछित शुल्क यथा–मलवा शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, आदि नियमानुसार जमा करना आवश्यक होगा।
(iii) 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रस्तुत मानचित्र 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएगें बशर्ते वह महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार हों तथा सभी सम्बन्धित विभागों यथावश्यक अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए.एस.आई. आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो। स्वतः स्वीकृति के मामलों में सम्बन्धित निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।	(iii) विकास प्राधिकरण की योजनाओं तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ ले– आउट प्लान में भू–खण्डीय विकास के मानचित्रों को छोड़कर अन्य समस्त आवासीय भूखण्डों के मानचित्र पर स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रस्तुत मानचित्र 30 दिन की अवधि में अन्तिम रूप से निस्तारित न होने पर स्वतः स्वीकृत माने जाएगें बशर्ते अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति द्वारा यह प्रमाण अंकित हो कि मानचित्र महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तथा भवन उपविधियों के अनुसार है तथा सभी सम्बन्धित विभागों यथावश्यक अग्निशमन विभाग, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए.एस.आई. आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो।

------X------X------ X-----X-------

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–15

Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "A": 5000 sqmt - 20000 sqmt)

S. No.	Medium	Environmental conditions
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
2	Water conservations – Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.
3	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
4	Energy	In common areas, LED/ solar lights must be provided.
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/ tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.
5 a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–16

Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "B": 20000 sqmt - 50000 sqmt)

S. No.	Medium	Environmental conditions
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
2	Water conservations – Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.
3.	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
4.	Energy	In common areas, LED/ solar lights must be provided.
4(a)		At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid should be provided.
4(b)		As per the provisions of the Ministry of New and Renewable energy solar water heater of minimum capacity 10 litres/4 persons (2.5 litres per capita) shall be installed.
4(c)		Use of flyash bricks: Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from time to time.
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/ tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.
5 a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–17

Environmental Conditions for Building and Construction
(Category "C": 50000 sqmt - 150000 sqmt)

S. No.	Medium	Environmental conditions
1	Natural Drainage	The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
2	Water conservations – Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one per 5000 sqm of built-up area) shall be provided. The rain water harvested should be stored in a tank for reuse in household through a provision of separate water tank and pipeline to avoid mixing with potable municipal water supply. The excess rain water harvested is to be linked to the tube well bore in the premise through a pipeline after filtration in the installed filters.
2(a)		The unpaved area shall be more than or equal to 20% of the recreational open spaces.
2(b)		The ground water shall not be withdrawn without approval from the competent authority
2(c)		Use of potable water in construction should be minimized.
2(d)		Low flow fixtures and sensors must be used to promote water conservation.
2(e)		Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system.
3.	Solid Waste Management	Separate wet and dry bins must be provided at the ground level for facilitating segregation of waste.
3(a)		All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie-up must be done with the authorized recyclers.
3(b)		Organic waste composter/vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 Kg/tenement/day must be installed wherein the STP sludge may be used to be converted to manure which could be used at the site or handed over to authorized recyclers for which a written tie-up must be done with the authorized recyclers.
4.	Energy	In common areas, LED/solar lights must be provided.
4(a)		At least 1% of connected applied load generated from renewable energy source such as photovoltaic cells or wind mills or hybrid should be provided.
4(b)		As per the provisions of the Ministry of New and Renewable energy solar water heater of minimum capacity 10 litres/4 persons (2.5 litres per capita) shall be installed.
4(c)		Use of flyash bricks: Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and as amended from time to time.
4(d)		Use of concept of passive solar design of buildings using architectural design approaches that minimize energy consumption in buildings by integrating conventional energy-

Scanned by CamScanner

S. No.	Medium	Environmental conditions
		efficient devices, such as mechanical and electric pumps, fans, lighting fixtures and other equipment, with the passive design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass.
4(e)		Optimize use of energy systems in buildings that should maintain a specific indoor environment conducive to the functional requirements of the building by following mandatory compliance measures (for all applicable buildings) as recommended in the Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 of the Bureau of Energy Efficiency, Government of India.
5	Air Quality and Noise	Dust, smoke and debris prevention measures such as screens, barricading shall be installed at the site during construction. Plastic/ tarpaulin sheet covers must be used for trucks bringing in sand and material at the site.
5 a)		The exhaust pipe of the DG set, if installed, must be minimum 10m away from the building. In case it is less than 10m away, the exhaust pipe shall be taken up to 3m above the building.
6	Green cover	A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land shall be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6(a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done with the obligation to provide continued maintenance for such plantations.
7	Sewage Treatment Plant	Sewage treatment plant with capacity of treating 100% waste water shall be installed. Treated water must be recycled for gardening and flushing.
8	Environment Management Plan	The environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Landscaping, Rain Water Harvesting, Power backup for environment, Infrastructure, Environment Monitoring, Solid Waste Management and Solar and Energy conservation, should be kept operational through Environment Monitoring Committee with defined functions and responsibility.

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–18

शपथ–पत्र

(एक सौ रूपये के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर)

समक्षः .... उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण

मैं .... पुत्र श्री .... आयु लगभग .... वर्ष पदनाम .... फर्म का नाम एवं पता .... शपथ पूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ कि:–

1. यह कि शपथी/शपथनी .... फर्म में .... पद पर तैनात है व .... (भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) के सम्बन्ध में फर्म की ओर से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हूँ।

2. यह कि .... (भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) भवनों का प्लिन्थ तक निर्माण कर लिया गया है जिसके प्रमाण के रूप में जी.पी.एस. को–आर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ स्थल के डिजिटल फोटोग्राफ्स संलग्न कर रहा हूँ जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

3. यह कि यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर–3.1.1 के अन्तर्गत वर्णित अनुज्ञा से आच्छादित कार्य तथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–52 के अन्तर्गत अनुमन्य निर्माण से इतर निर्माण कराया गया है तो शासकीय अभिकरण द्वारा सील कर दिये जाने मे उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

शपथी/शपथनी घोषणा करता है कि उपरोक्तानुसार किये गये समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सही हैं तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

(शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर)
नाम :
पता :

सत्यापन

मैं शपथी/शपथनी सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा–1 लगायत 3 तक मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा इसकी पुष्टि करता/करती हूँ।

(शपथी/शपथनी के हस्ताक्षर)
नाम :
पता :

Scanned by CamScanner

सेवा में,

परिशिष्ट–19

................................विकासकर्ता का नाम

................................पता

....

विषयः .... (भूखण्ड का विवरण/योजना का नाम) का दिनांक ....को स्थल निरीक्षण उपरान्त नोटिस।

महोदय,

आप द्वारा दिनांक .... को प्रस्तुत किए गए एफिडेविट के साथ .... स्थल पर किए गए निर्माण सम्बन्धी फोटोग्राफ्स का स्थल पर विद्यमान निर्माण के सापेक्ष दिनांक....................................... को मिलान किया गया। स्थल निरीक्षण के आधार पर आप द्वारा प्रस्तुत विवरण सही पाया गया/निम्न विचलन/त्रुटि पायी गयीः–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

भवदीय,

(प्रभारी अभियन्ता)
(मोहर सहित)
....
....

प्रतिलिपि : उपाध्यक्ष, ... विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ/इस अनुरोध के साथ कि कृपया स्थल पर हुए निर्माण को सील करने के आदेश पारित करने का कष्ट करें (जो लागू न हो काट दें)।

(प्रभारी अभियन्ता)
(मोहर सहित)
....
....

Scanned by CamScanner

विषय– भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफरमेशन" (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु धनराशि के भुगतान तथा जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार करने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या–

अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार किये जाने हेतु 1542 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के सर्वेक्षण कार्य हेतु सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0–830/लखनऊ महायोजना/ल.ख./2017–18, दिनांक 13.09.2017 (प्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न) प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र द्वारा जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान बेस मैप तैयार किये जाने से महायोजना के आधार मानचित्र को अद्यतन करने के साथ–साथ इसका उपयोग जोनल प्लान तैयार करने में भी किया जा सकेगा। अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान हेतु सहयुक्त नियोजक के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.09.2017 द्वारा बेसमैप को भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ का चयन किया गया है। लखनऊ नगर हेतु 1542 वर्गकिलो मीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की नीति के अनुरूप इसमें से 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा, शेष 1042 वर्गकिलो मीटर का सर्वेक्षण करने हेतु होने वाले व्यय का वहन प्राधिकरण को किया जाना होगा। अतिरिक्त 1042 वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल पर रू0 8888 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से कुल रू0 93 लाख का व्यय अनुमानित है, इसका वहन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना होगा।

सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0–1218/अमृत

सहयुक्त नियोजक सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0–1218/अमृत योजना/लखनऊ/2017–18, दिनांक 27.11.2017 (प्रति अनुलग्नक–2 पर संलग्न) द्वारा लखनऊ महायोजना तैयार करने हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को यथाशीघ्र एजेन्सी घोषित करने की औपचारिकताएं प्राधिकरण बोर्ड से करवाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में लखनऊ महायोजना–2031 दिसम्बर, 2016 से प्रभावी है। अतः पुनः महायोजना बनाने के आवश्यकता न होने के दृष्टिगत लखनऊ महायोजना 2031 को जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान में परिवर्तित (कनवर्ट) कराने तथा बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 द्वारा जोनल प्लान तैयार करने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान के अनुरूप जोनल प्लान तैयार करने हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेन्सी घोषित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव–</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफरमेशन" (अमृत) योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने के अंतर्गत लखनऊ महायोजना 2031 को परिवर्तित (कनवर्ट) करने तथा पूर्व में बोर्ड बैठक दिनांक 24.10.2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में तद्नुसार जोनल प्लान तैयार करने हेतु उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को एजेन्सी घोषित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक-1 87

फोन / फैक्स : 0522—2325217

कार्यालय सहयुक्त नियोजक,

सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,
एल0डी0ए0 शापिंग सेन्टर, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ।

पत्रसंख्या: 830 / लखनऊ महायोजना / ल.ख. / 2017—18 दिनांक: 13-9-2017

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान के लिए बेस मैप तैयार किये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के 61 नगरों का चयन किया गया है जिसमें मैट्रो श्रेणी के नगरों हेतु अधिकतम 500 वर्ग किलो मीटर तथा क्लास—1 श्रेणी के नगरों हेतु अधिकतम 200 वर्ग किलोमीटर का बेसमैप बनाये जाने का मानक निर्धारित किया गया है। बेसमैप को भारत सरकार के उपक्रम (एन.आर.एस.सी.) के माध्यम से तैयार कराया जा रहा है। जिसके लिए भारत सरकार द्वारा रू0 8888 प्रति वर्ग किलोमीटर की दर निर्धारित की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ नगर का चयन किया गया है। लखनऊ नगर हेतु 1542 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार की नीति के अनुरूप इसमें से 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण करने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जायेगा, शेष 1042 वर्ग किलो मीटर का सर्वेक्षण करने हेतु होने वाले व्यय का वहन प्राधिकरण को किया जाना होगा। अतिरिक्त 1042 वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल पर रू0 8888/— वर्ग किलोमीटर की दर से कुल रू0 93 लाख का व्यय अनुमानित है, इसका वहन लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जाना होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि 1042 वर्ग किलो मीटर अतिरिक्त क्षेत्रफल के सर्वेक्षण पर होने वाले इस अतिरिक्त व्यय को वहन करने की लखनऊ विकास प्राधिकरण की सहमति इस कार्यालय को 03 दिन में उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इस सर्वेक्षण कार्य से महायोजना के आधार मानचित्र को अद्यतन करने के साथ साथ इसका उपयोग जोनल प्लान तैयार करने में भी किया जा सकेगा।

भवदीय,

(शेर सिंह)
सहयुक्त नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(शेर सिंह)
सहयुक्त नियोजक

LDA-1

अनुलग्नक-2 88

172144

28.11.17

☎ /फैक्स : 0522–2325217
Email address: lkodiv30@gmail.com

कार्यालय सहयुक्त नियोजक,
सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0,
एल0डी0ए0 शापिंग सेन्टर, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ।

पत्रसंख्याः 1218/अमृत योजना/ लखनऊ/2017–18 दिनांकः 27-11-2017

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

विषय : भारत सरकार की "अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफरमेशन" (अमृत) योजनार्न्तगत जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एजेन्सी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

01/C-7-12-2017
4-12-17

महोदय,

उपरोक्त विषय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांकः 2088/वनि(1)/अमृत जी0आई0एस0बेस्ड मा0प्लान/2017–18 दिनांकः 20.11.2017 जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अमृत योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र का जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 को एजेन्सी घोषित करने हेतु औपचारिकताओं को पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि महायोजना तैयार करने हेतु शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की संस्तुति पर एजेन्सी घोषित की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लखनऊ महायोजना तैयार करने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को यथा–शीघ्र एजेन्सी घोषित करने की औपचारिकतायें प्राधिकरण बोर्ड स्तर से करवानें का कष्ट करें, ताकि भारतसरकार/प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पन्न कराया जा सके।

मुख्य नगर नियोजक

भवदीय,

(शेर सिंह)
सहयुक्त नियोजक

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
29/11/2017

TP
Pl put up proposal/draft.
01.12.17

श्री राजेश
सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न कर प्रस्तुत करें।
07.12.2017
P.A.

विषय संख्याः—12 पृष्ठ संख्याः— 89

विषयः प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड योजना के सेक्टर—डी1 के तलपट मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल लगभग 9276.00 वर्गमी0 पर सृजित एस0एस0 टाइप के भूखण्डों/भवनों के निर्माण के फलस्वरूप एक्जीक्यूशन पार्ट ले—आउट प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

आख्याः

प्राधिकरण द्वारा विकसित कानपुर रोड सेक्टर—डी1 योजना के समीप विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष—1991—1992 में लगभग 9276.00 वर्गमी0 क्षेत्रफल भूमि पर साईड एण्ड सर्विसेस प्रकार के 166 भूखण्ड विकसित कर आवंटित किये गये हैं, जो तत्कालीन प्रभावी महायोजना—2021 के अनुसार ग्रीन बेल्ट भू—उपयोग के अन्तर्गत थी। सम्पत्ति अनुभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार 35 भूखण्डों का निबन्धन वर्ष—2005 में किया जा चुका है। शेष का निबन्धन ग्रीन बेल्ट होने के कारण नहीं किया गया है। कल्याण समिति, एस0एस0—III, सेक्टर—डी1, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक 255—57/भूखण्ड विवाद निस्तारण/2017/दिनांक 06.01.2017 द्वारा जनहित में मास्टर प्लान—2031 के अन्तर्गत रख कर विवाद निस्तारण हेतु प्रार्थना—पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। तद्क्रम में अवगत कराना है कि लखनऊ महायोजना—2031, शासनादेश संख्या—1504 (1)/ 8—3—16—308 विविध/2011, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकृत है, जिसमें कानपुर रोड योजना के सेक्टर—डी1 के ले—आउट प्लान स्थल का भू—उपयोग "ग्रीनबेल्ट" से "आवासीय" में परिवर्तित किया गया है (छायाप्रति अनुलग्नक—1 पर संलग्न)।

अतः उपरोक्तानुसार कानपुर रोड योजना के सेक्टर—डी1 के ले—आउट स्थल का भू—उपयोग वर्तमान में आवासीय हो जाने के दृष्टिगत इस योजना में आवंटित/निबंधित भूखण्डों/भवनों के निर्माण के फलस्वरूप योजना से सम्बन्धित स्थल का एग्जीक्यूशन पार्ट ले—आउट प्लान अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है, ताकि आवंटियों के निबन्धन की समस्या का समाधान हो सके। (टेन्टेटिव ले—आउट प्लान की छायाप्रति अनुलग्नक—2 पर संलग्न)

प्रस्तावः

कानपुर रोड योजना के सेक्टर—डी1 के तलपट मानचित्र की भूमि क्षेत्रफल लगभग 9276.00 वर्गमी0 पर भूखण्डों/भवनों के निर्माण होने एवं लखनऊ महायोजना—2031 में उक्त स्थल का भू—उपयोग "आवासीय" होने के दृष्टिगत स्थल के एग्जीक्यूशन पार्ट—ले—आउट प्लान के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

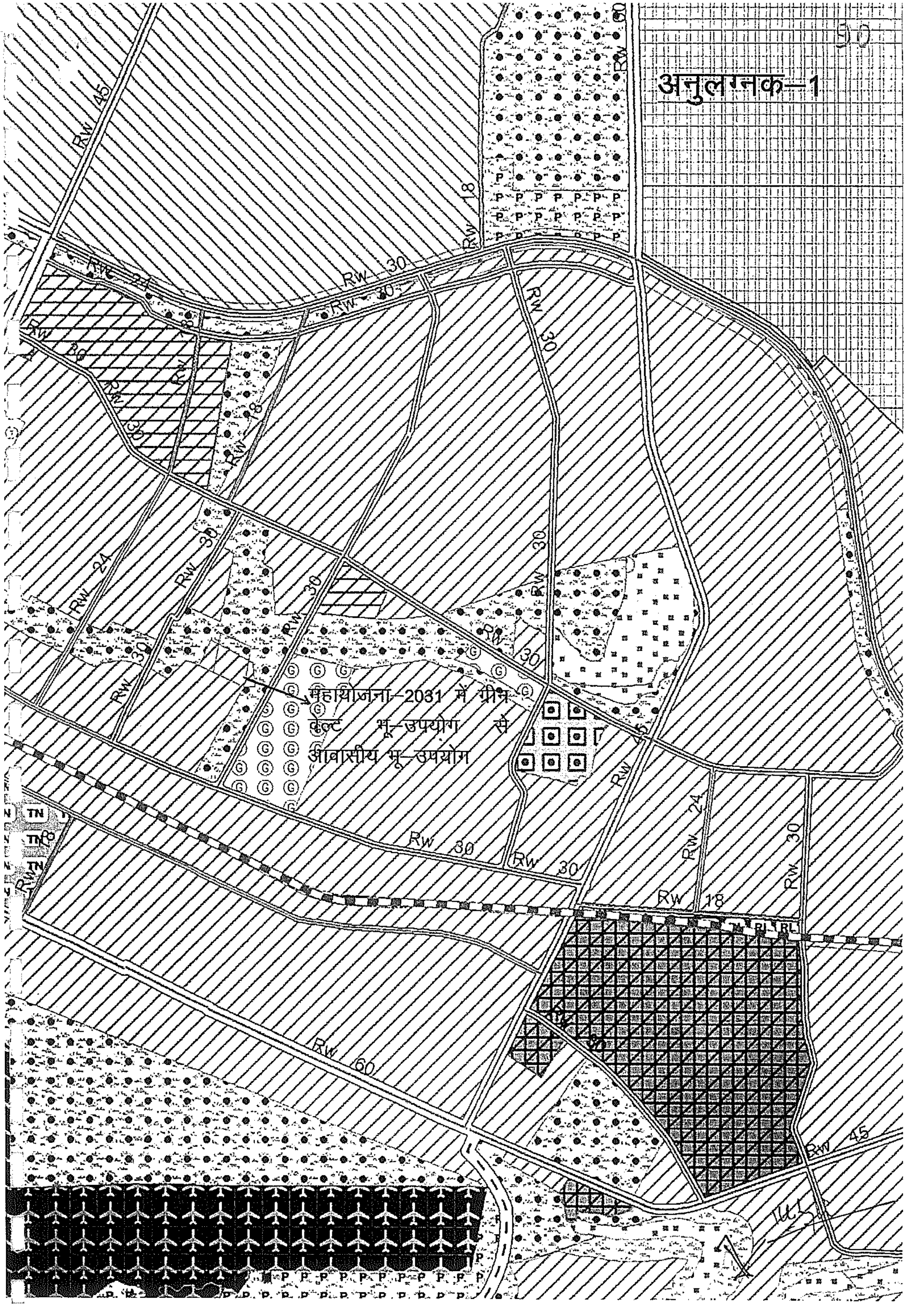
अनुलग्नक–1
महायोजना–2031 में ग्रीन बेल्ट भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग
Rw 45
Rw 30
Rw 24
Rw 18
Rw 60
Rw 45

संलग्नक - 2

EXECUTION PART LAYUOT PLAN OF S/S -III TYPE PLOT , SECTOR - D1 KANPUR ROAD SCHEME LUCKNOW

DETAIL OF PLOTS:-

S.NO.	TYPE	SIZE	NOS.
1.	SS/PLOTS	3.5M.X10.5M.	166

NOTE :-

THIS POCKET LANDUSE HAS BEEN CHANGED IN TO RESIDENTIAL USE AS/PER MASTER PLAN 2031.

ALL PLOTS ARE ALLREADY EXICUTED ON SITE .

THIS POCKET AREA =9276 SQMT. APPROXX

BOUNDARY SHOW -

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

R E V I S I O N

DATE:-	21.12.2017
DRG.NO:-	
DEALT BY:-	

EXECUTION TEAM	APPROVAL TEAM
J.E.	T.P. SINGH T.P.
A.E.	R.G. SINGH C.T.P.
E.E.	P.N. SINGH V.C.

विषय संख्या-13

विषय :– शासन के पत्र संख्या–933/आठ–6–17–05 टी0पी0/2016 दिनांक 18 अगस्त 2017 के क्रम में डॉ राजा सिहं निवासी–जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार सेक्टर–1 स्थित भूखण्ड संख्या–सी–1/163 एवं इससे सटी अतिरिक्त भूमि 46.00 वर्गमी0 के बगल स्थित व्यवसायिक भूमि को पक्षकार द्वारा कार्नर की भूमि बताकर सड़क की मांग जा रही है, के निस्तारण के सम्बन्ध में।

आख्या :– प्रश्नगत प्रकरण में शासन के पत्र सं0–933/आठ–6–17–05 टी0पी0/2016 दिनांक 18 अगस्त, 2017 के द्वारा प्रकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करते हुए इसका निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है, (अनुलग्नक–1)। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूखण्ड सं0–सी–1/163, गोमती नगर विस्तार, सेक्टर–1 योजना लखनऊ में दिनांक 28.02.2005 को आवंटित किया गया था। निबन्धन में प्रश्नगत भूखण्ड की चौहद्दी–पूरब–व्यवसायिक भूखण्ड, दक्षिण–ग्रुप हाउसिंग, पश्चिम–भूखण्ड सं0–सी–1/ 162, उत्तर–18 मी0 चौड़ी रोड अंकित कराते हुए निबन्धन की कार्यवाही वर्ष–2009 में पूर्ण की गयी थी (अनुलग्नक–2)। डॉ0 राजा सिंह को आवंटित भूखण्ड सं0–सी–1/162–ए सृजित करते हुए एवं डॉ0 राजा सिंह के भूखण्ड के साथ लगी 2.30 मी0 चौड़ाई X 20.00 मी0 गहराई में कुल 46.00 वर्गमी0 भूमि का आवंटन भी डॉ0 राजा सिंह को किया गया था। जिसके निबन्धन के अनुसार भूखण्ड की चौहद्दी–पूरब–व्यवसायिक भूखण्ड, दक्षिण–ग्रुप हाउसिंग पश्चिम–भूखण्ड सं0–सी–1/162–ए, उत्तर–18 मी0 चौड़ा मार्ग अंकित कराते हुए डॉ0 राजा सिंह एवं विकास प्राधिकरण की सहमति से निबन्धन की कार्यवाही की गयी है (अनुलग्नक–3)।

डॉ0 राजा सिंह द्वारा अनेकों बार विभिन्न स्तरों पर यह शिकायत की जाती रही है कि अतिरिक्त क्षेत्रफल के पूरब ओर संड़क दर्शित है तथा कार्नर का शुल्क लिया गया है, जबकि पक्ष से प्राधिकरण के कास्टिंग विभाग द्वारा भूमि के मूल्यांकन में कार्नर का भूखण्ड न मानकर मध्य का भूखण्ड मानते हुए भूमि शुल्क लिया गया है (अनुलग्नक–4)। निबन्धन में डेड कार्नर भूखण्ड होने के कारण तथा 4.5X4.00 उत्तर–पूरब कोने में जो आंशिक रोड दिखायी गयी है। आंशिक रोड के कारण निबन्धन हेतु रू0–4,186.00 का स्टैम्प पेपर अधिक लिया गया है। यद्यपि जो आंशिक रोड दिखायी गयी है वह भूखण्ड सं0–सी–164 को प्रवेश देने के लिए है। इस प्रकार कार्नर का भूखण्ड बताते हुए बार–बार सड़क की मांग की जा रही है। जिस भूमि पर सड़क बनाने की मांग की जा रही उक्त भूमि प्राधिकरण की योजना के व्यावसायिक भूखण्ड का भाग है, जिसपर सड़क का निर्माण नही किया जा सकता।

प्रस्ताव :– शासन के पत्र संख्या–933/आठ–6–17–05 टी0पी0/2016 दिनांक 18 अगस्त 2017 के क्रम में डॉ राजा सिहं निवासी–जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ के गोमती नगर विस्तार सेक्टर–1 स्थित भूखण्ड संख्या–सी–1/163 एवं इससे सटी अतिरिक्त भूमि 46.00 वर्गमी0 के बगल स्थित व्यवसायिक भूमि को पक्षकार द्वारा कार्नर की भूमि बताकर सड़क की मांग जा रही है, के सम्बन्ध में बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(स्निग्धा चतुर्वेदी)
सम्पत्ति अधि0, ल0वि0प्रा0

(विश्व भूषण मिश्रा)
पी0सी0एस0
नजूल अधिकारी
ल0 वि0 प्रा0

अनुलग्नक-1

169051
10.01.2017

93

संख्या : 1935 /आठ–6–17–05टी.पी. /2016

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 18 अगस्त,2017

विषय :डा0 राजा सिंह, निवासी, जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ द्वारा श्री जे0एन0 रेड्डी, नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरूद्ध की गयी शिकायत के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 618/आठ–6–17–05टीपी/2016, दिनांक 17 जुलाई,2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– प्रश्नगत प्रकरण में नजूल अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के संदर्भ में दिनांक 21.07.2017 को प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गयी, जिसमें डा0 राजा सिंह, निवासी, जे–3/7, डालीबाग, लखनऊ, श्री नितिन मित्तल, मुख्य नगर नियोजक लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री टी0पी0 सिंह, नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं श्री आर0के0 पाण्डेय, सहायक अभियंता उपस्थित हुए। प्रकरण में स्थिति स्पष्ट न होने के कारण डा0 सिंह के प्रकरण को लखनऊ विकास प्राधिकरण की होने वाली बैठक में प्रस्तुत करते हुए इसका निस्तारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 21.07.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण की होने वाली बोर्ड बैठक में इसका निस्तारण करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सिद्धाशरण पाण्डेय)
अनु सचिव।

मुख्य नगर नियोजक

लखनऊ विकास प्राधिकरण
cps-Go-17 21/08/2017

T.P.
कृ0 बोर्ड प्रस्ताव हेतु सम्बन्धित को आवश्यक।
26/8/17

अनुलग्नक-2 प्रथम निबन्धक की प्रति 91

94

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

658876

मैं डी0 एम0 कटियार प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)

विकास प्राधिकरण लखनऊ विक्रेता की ओर से एवम्

श्री राजा सिंह आयु लगभग-53 वर्ष पुत्र स्व0 श्री देवराज सिंह

व श्रीमती रंजना आयु लगभग-45 वर्ष पत्नी श्री राजा सिंह

निवासीगण-जे.-3/7 डालीबाग कालोनी लखनऊ क्रेता की ओर से

भूखण्ड संख्या-सी-1/163 सेक्टर-एक स्थित गोमतीनगर विस्तार

क्रमशः......2

R Singh
Ranjana

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

188 95

CRI/SMT. : ....

HOUSE NO. : 1/C-163

: 10.00 x 20.00 m.

EA : : 200.00 Sqmt.

BOUNDARY:
NORTH : 18.00 m. wide Road
SOUTH : Group Housing.
EAST : Commercial
WEST : Plat No. 1/C-162

SECTOR-1 , GOMTI NAGAR EXTENTION, LUCKNOW.

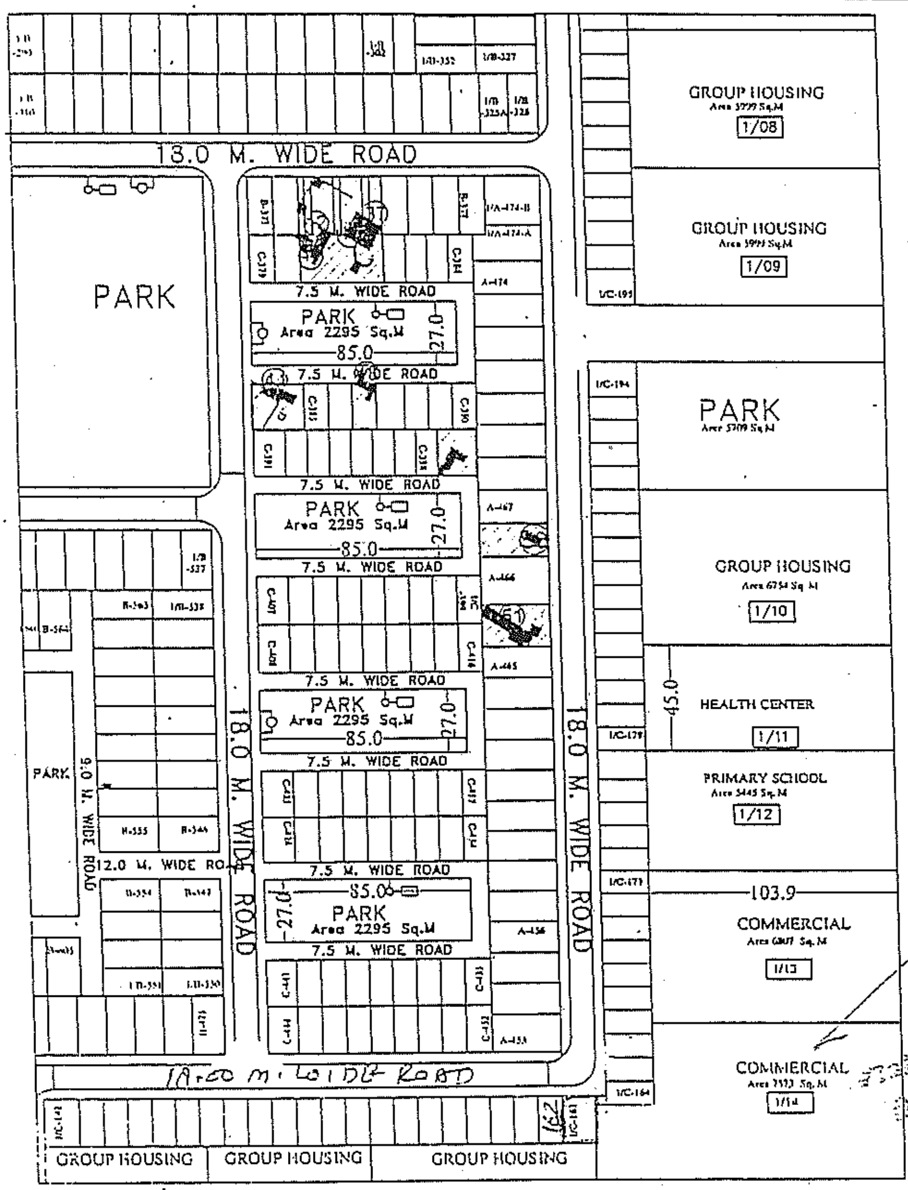

Ranjana

ILE NO. :- 615/C.T.P./INDEX/08

DATE :- 29/7/09

IS LEASE PLAN IS THE PART OF PROVED DWG. NO:-GNE./REVISION-1/06-07 , YOUT OF SEC-1 ,GOMTI NAGAR VISTAR HEME.

S PLAN IS PREPARED WITH STANDARD SIZE. T AREA MAY BE CHANGED ACCORDING TO PER SITE .

NORTH :-

N

RAM ADHAR
D/M

ANITA SRIVASTAVA
A.T.P

(७)

उपरिसंदर्भित विक्रीत भूखण्ड/भवन का विवरण

भू विन्यास योजना भूखण्ड/भवन संख्या 1/163 प्रकार स्पी
कुल क्षेत्रफल 200.00 वर्गमीटर स्थित सै०-1 गोमती नगर विस्तार
योजना लखनऊ जिसकी पूर्वी भुजा की माप 20.00 मीटर, पश्चिमी भुजा 20.00
मीटर, उत्तरी भुजा 10.00 मीटर, दक्षिणी भुजा 10.00 मीटर है
प्रश्नगत भूखण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार से है–
पूरब का० नम्बर [illegible] पश्चिम भू०सं० 1/162
उत्तर 18.00 मी० चौड़ी सड़क दक्षिण [illegible]

साक्षीगण :–

1. हस्ताक्षर
नाम देवेन्द्र शर्मा
उम्र 44 वर्ष
पिता का नाम श्री [illegible]
व्यवसाय नौकरी
निवास [illegible]
दिनांक

विक्रेता के लिये तथा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ
(विक्रेता)

2. हस्ताक्षर
नाम SURESH KUMAR
उम्र [illegible]
पिता का नाम SRI SITARAM
व्यवसाय [illegible]
निवास [illegible]
दिनांक

(क्रेता)

का प्रा-II

अनुलग्नक-3

181

97

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 450777

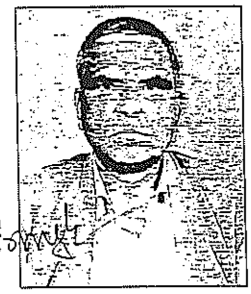

R Singh

Ranjana

मैं अनुपम सरोज सिंह, प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति) लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ विक्रेता की ओर से

क्रमशः.............2

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

R Singh
Ranjana

Received
R Singh
21/3/2013

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

174 98

...SE TO SRI/SMT. : ....

...LOT/HOUSE NO. : 1/C-163-OF EXTRA LAND

EXTRA LAND SIZE : 2.30MX20.00M

EXTRA LAND AREA : 46.00 SQMT

BOUNDARY:
NORTH : 18.00 M. WD. ROAD
SOUTH : GROUP HOUSING
EAST : COMMERCIAL PLOT
WEST : PLOT NO. 1/C-162-A

SECTOR-1, GOMTI NAGAR EXTENTION, LUCKNOW.

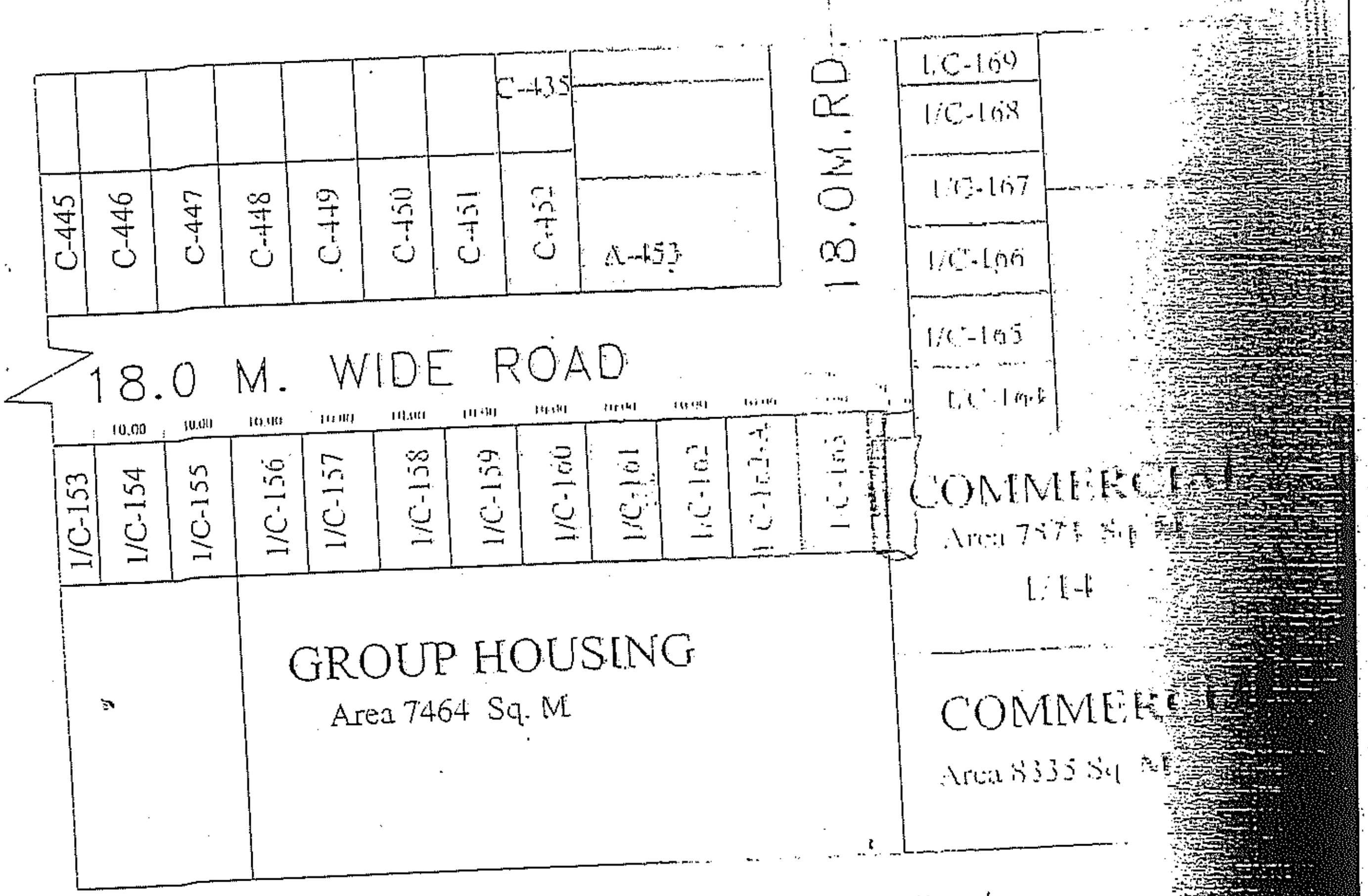

Ranjana

FILE NO. :- 833/T.P./INDEX/12	DATE :-21-11-2012	
THIS LEASE PLAN IS THE PART OF APPROVED DWG. NO:-GNE./REVISION-1/06-07, LAYOUT OF SEC-1, GOMTI NAGAR VISTAR SCHEME.	NORTH :- N	RAM ADHAR D/MAN
THIS PLAN IS PREPARED WITH EXTRA LAND OF PLOT NO 1/C-163 ACCORDING TO GIVEN BY E.E.-3 APPROVED BY V.C DATED ON 09-11-2012 ON FILE NO:- 1257/07-11-2012		

(४)

उपरिसंदर्भित विक्रीत भूखण्ड/भवन का विवरण

भू विन्यास योजना भूखण्ड/भवन संख्या 1/C-163 से ली हुई प्रकार आवैकुल क्षेत्रफल 46.00 वर्गमीटर स्थित से०-1 गोमतीनगर विस्तार योजना लखनऊ जिसकी पूर्वी भुजा की माप 20.00 मीटर ; पश्चिमी भुजा 20.00 मीटर, उत्तरी भुजा 2.30 मीटर,दक्षिणी भुजा 2.30 मीटर है प्रश्नगत भूखण्ड की चौहद्दी निम्न प्रकार से है–

पूरब Commercial Plots पश्चिम भू० सं०-1/C-162-A

उत्तर 18.00 मीटर चौड़ी सड़क दक्षिण Group Housing

साक्षीगण :-

१. हस्ताक्षर [signature]
नाम वीरेन्द्र सिंह
उम्र 56 वर्ष
पिता का नाम स्व० लालो सिंह
व्यवसाय नौकरी
निवास ल०वि०प्रा० लखनऊ
दिनांक

विक्रेता के लिये तथा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

[signature]
(विक्रेता) ~~(सम्पत्ति) लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ~~

२. हस्ताक्षर निज़ामुद्दीन
नाम निज़ामुद्दीन
उम्र 55 वर्ष
पिता का नाम स्व० अब्दुल सलाम
व्यवसाय समाज सेवा
निवास 2/591 विजय खण्ड गोमती नगर लखनऊ
दिनांक

[signature]
(क्रेता)
Ranjana

Sr ACA

कृ. पूर्व पृष्ठ 30 पर सं. वि. की आख्या के क्रम में भूखण्ड संख्या 1/163 गो. न. विस्तार के संलग्न लीज प्लान के अनुसार अतिरिक्त भूमि की गणना निम्नवत् है:-

(1) अतिरिक्त भूमि का मूल्य (हंफी ओर संलग्न लीज प्लान के अनुसार 46 वर्गमी @12000/- +10%) रु 607,200=00

अतः उपरोक्तानुसार अतिरिक्त भूमि के मद में रु 607200=00 (छः लाख सात हजार दो सौ) दिनांक 20.2.13 तक जमा करा लें। गणना केवल अतिरिक्त भूमि हेतु की गयी है। क्योंकि पूर्व में आवंटित 200 वर्गमी का निबंधन हो गया है, अतः नियमानुसार अतिरिक्त भूमि की गणना वर्तमान दर से Location शुल्क लेकर की गयी है।

यद्यपि पूर्व पृष्ठ 24 पर कार्नर होने का उल्लेख है, परन्तु लीज प्लान में दो तरफ सड़क नहीं है अतः गणना भूखण्ड को मध्य मानकर की गयी है। सं. वि. द्वारा भी देख लिया जाय भी भूखण्ड मध्य का ही है तथा क्षेत्रफल 46.00 वर्गमी। ही है।

(संजीव वर्मा) 19.1.13

19/1/13

श्री ... लेखा ... है
... किया

19/1/13

फाईल संख्या

विषय संख्या– 14 पृष्ठ सं0–

विषय– प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखण्ड संख्या–TC/25-V एवं TC/26-V विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ संलग्न भूखण्डों को एकीकृत करते हुये मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में।

आख्या–

माँ अम्बे इन्फ्रा हाईटेक प्रा0 लि0 के निदेशक श्री अमित सिंह एवं मेसर्स लक्सेस हास्पिलिटी प्रा0 लि0 मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमित सिंह द्वारा भूखण्ड संख्या–TC/25-V क्षेत्रफल–3538.60 वर्गमी0 एवं TC/26-V क्षेत्रफल–3979.18 वर्गमी0 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ विकास प्राधिकरण से अलग–अलग सेलडीड के माध्यम से क्रय किया गया है। भू0सं0–TC/25-V का व्यावसायिक मानचित्र प्राधिकरण से आवेदक द्वारा स्वीकृत कराया गया है। वर्तमान में आवेदक द्वारा दोनों भूखण्डों को एकीकृत करते हुये संयुक्त भूखण्ड क्षेत्रफल–7517.78 वर्गमी0 होटल भवन का मानचित्र स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पूर्व में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा व्यवसायिक भूखण्डों को एकीकृत किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, जो निम्नवत् है–

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 11 जून, 2016 के विषय संख्या–14 में प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में प्रस्तावित संलग्न व्यवसायिक भूखण्डों को एकीकृत करते हुये मानचित्र स्वीकृत निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया–

1. भूखण्डों के आवंटन में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में निर्धारित मानकों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।
3. एकीकृत किये गये भूखण्डों में भवन उपविधि के अनुसार अलग–अलग भूखण्डों पर निर्धारित एवं एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।
4. ले–आउट में भूखण्डों का निर्धारित सेटबैक यथावत् रहेगा।
5. ऐसे प्रत्येक प्रकरण केस–टू–केस के आधार पर निर्धारित प्रतिबन्ध का अनुपालन कराते हुये बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।
6. ऐसे प्रत्येक मामले में सर्किल रेट का 2 प्रतिशत एकीकृत शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

<u>प्रस्ताव:–</u>

श्री अमित सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर/निदेशक द्वारा लक्सेस हॉस्पिटिलिटी प्रा0 लि0 एवं निदेशक, श्री अमित सिंह, मेसर्स माँ अम्बे इन्फ्रा हाईटेक प्रा0 लि0 द्वारा दोनों भूखण्ड सं0–**TC/25-V** एवं **TC/26-V** विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ संयुक्त भूखण्ड क्षेत्रफल–7517.78 वर्गमी0पर प्रभावी भवन उपविधि में निर्धारित सेटबैक के अनुसार एकीकृत भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(राहुल श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियंता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 152वीं बैठक दिनांक 11 जून, 2014 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

01.	श्री संजीव सरन	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री एम0पी0 अग्रवाल	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री राज शेखर	जिलाधिकारी, लखनऊ
04.	श्री आर0के0 सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री पी0एन0 यादव	अनु सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
06.	श्री अजय मिश्रा	वरिष्ठ नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
07.	श्री एम0एम0 मिश्रा	अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
08.	श्री पी0के0 सिन्हा	मुख्य अभियंता, जल निगम, लखनऊ।
09.	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
11.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थिति :

12.	श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी	सचिव, ल0वि0प्रा0।
13.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
14.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री डी0आर0 यादव	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0

विषय संख्या : 14

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना के अन्तर्गत तलपट मानचित्र में प्रस्तावित संलग्न व्यवसायिक भूखण्डों को एकीकृत करते हुए मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्राधिकरण द्वारा आवंटित अधिकतम दो व्यावसायिक भूखण्डों को एकीकृत कर भवन मानचित्र निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. भूखण्डों के आवंटन में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में निर्धारित मानकों में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

3. एकीकृत किये गये भूखण्डों में भवन उपविधि के अनुसार अलग-अलग भूखण्डों पर निर्धारित आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा।

4. ले-आउट में भूखण्डों का निर्धारित वाह्य सेटबैक यथावत् रहेगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रकरण केस-टू-केस के आधार पर निर्धारित प्रतिबन्ध का अनुपालन कराते हुए बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

6. ऐसे प्रत्येक मामले में सर्किल रेट का 2 प्रतिशत एकीकृत शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

विषय संख्या : 15

मानचित्र स्वीकृति के समय मैकेनाइज्ड पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र के साथ जमा कराये जाने वाली प्रतिभूति धनराशि निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि वाहनों के मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने हेतु आकलित धनराशि का 25 प्रतिशत बैंक गारण्टी या प्रतिभूति धनराशि के रूप में पक्ष से जमा करायी जाये और यदि पक्ष द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत मैकेनाइज्ड पार्किंग का निर्माण नहीं किया जाता, तो उक्त धनराशि को जब्त करते हुए अपार्टमेन्ट एक्ट के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र आदि निषिद्ध किए जायें।

विषय संख्या: 14 पृष्ठ संख्या: 87

विषय: प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना के अन्तर्गत तलपट मानचित्रों में प्रस्तावित संलग्न व्यवसायिक भूखण्डों को एकीकृत करते हुये मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

आख्या:

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्डों में अनेको बार ऐसा देखने में आया है कि एक ही व्यक्ति/संस्था एक से अधिक संलग्न भूखण्ड क्रय कर लिया जाता है। दो या दो से अधिक व्यवसायिक भूखण्डों को मिलाकर निर्धारित भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत एक भवन को निर्मित करने में वास्तुकला एवं लैण्डस्केप सुधार होने के साथ अधिक उपयोगी होने के दृष्टिगत प्राधिकरण में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। संलग्न भूखण्डों को मिला कर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन एक ही भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करने में कोई तकनीकी आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

1. भवन रेखा में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
2. एकीकृत भूखण्डों के बाहरी सेटबैक में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
3. भूखण्डों की वर्तमान लागत का 2 प्रतिशत अमालगेशन शुल्क के रूप में आवेदक से ज़मा करने की दशा में अनुमति प्रदान की जायेगी।
4. भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
5. अन्य नियम/उपनियम भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार लागू होगें।

प्रस्ताव :

प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाओं के अन्तर्गत तलपट मानचित्रों में दर्शित संलग्न व्यवसायिक भूखण्डों को उल्लिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एकीकृत भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सहायक अभियंता/उद्यान अधिकारी,

कृपया पूर्व पृष्ठ पर सचिव की पृच्छा के क्रम में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन के लिये समूचे लखनऊ शहर में लगभग 318 पार्कों का विकास एवं रख–रखाव भी किया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा पार्क के रख–रखाव, सहयोग के दृष्टिगत निम्न पार्कों में प्रवेश शुल्क लगाया गया है :–

1. पं0 दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चारबाग
2. बेगम हजरत महल पार्क, परिवर्तन चौक
3. नीबू पार्क, चौक
4. गौतम बुद्धा पार्क, साइन्टिफिक कन्वेंशन सेन्टर के सामने
5. जॉगर्स पार्क, हरदोई रोड
6. डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर
7. वनस्थली पार्क, कानपुर रोड
8. स्मृति उपवन, कानपुर रोड
9. जोनल पार्क, कानपुर रोड
10. शान्ति उपवन –1, कानपुर रोड
11. शान्ति उपवन –2, कानपुर रोड

उपरोक्त समस्त पार्कों में निम्नानुसार प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है :–

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि	इकाई
01	प्रति व्यक्ति	रु0 5.00	प्रति प्रवेश
02	प्रति व्यक्ति	रु0 50.00	मासिक पास
03	प्रति व्यक्ति	रु0 500.00	वार्षिक पास
04	प्रति व्यक्ति	रु0 5000.00	आजीवन पास

उपरोक्तानुसार पार्कों में लिये जाने वाले प्रवेश शुल्क का निर्धारण लगभग 10 वर्ष पूर्व किया गया था। वर्तमान में पार्कों के रख–रखाव इत्यादि कार्यों को कराये जाने वाले शुल्कों में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है। उद्यान कार्यों की समीक्षा के समय इस पर विचार करते हुए पार्कों के प्रवेश शुल्क में लिये जाने वाले धनराशि बहुत कम

पाते हुए प्रवेश शुल्क में वृद्धि किया जाना उचित पाया गया है, जिसके क्रम में उपरोक्त समस्त पार्कों में निम्नानुसार प्रवेश शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है :–

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि	इकाई
01	प्रति व्यक्ति	रु0 10.00	प्रति प्रवेश
02	प्रति व्यक्ति	रु0 100.00	मासिक पास
03	प्रति व्यक्ति	रु0 1000.00	वार्षिक पास
04	प्रति व्यक्ति	रु0 5000.00	आजीवन पास
05	60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग तथा 12 वर्ष तक के बच्चे	निशुल्क	निशुल्क

नोटः उपरोक्त दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित रहेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय अवकाशो पर प्रवेश निशुल्क रहेगा।

प्राधिकरण द्वारा प्रवेश शुल्क लागू करने का उद्देश्य पार्क के स्तर का उच्चीकरण करना, सुरक्षा की दृष्टि से पार्कों में प्रवेश करने वाले लोगों का रिकार्ड रखना, पार्क में असामाजिक तत्व एवं लतीय (addict) व्यक्तियों के प्रवेश को समाप्त करने के साथ–साथ पार्कों को और आर्कषक बनाने का है।

अतः उपरोक्तनुसार प्रवेश शुल्क बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

29/12/2017 29/12/17

अवनीश कुमार
अवर अभियन्ता

उपरोक्तानुसार स्वीकृति हेतु

29/12/17
एस0 पी0 सिसोदिया
उद्यान अधिकारी

CE / VC

2354
29/12/17

29/12/17
इन्दु शेखर सिंह
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

Plz go ahead, Board has given the approval on 30th; Minutes may be placed on record later on

Horticulture off.

1/1/18